मंगलवार,
२७ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation 13.3.42

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

गेहूं, आटा तथा चीनी के दामों में वृद्धि

*२०५९. **श्री वी० पी० नायर :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह मालूम है कि भारत के बहुत से भागों में उचित मूल्य वाली दूकानों में गेहूं, आटा तथा चीनी नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं है ?

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि नियंत्रण हटा देने के बाद गेहूं, आटा तथा चीनी के दाम उच्चतम स्तर पर पहुंच गये हैं ?

(ग) यदि ऐसा है, तो इस अभाव तथा मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और क्या नियंत्रण का हटाया जाना इसके लिये किसी प्रकार से उत्तरदायी है ?

(घ) ये चीजें मिल सकें तथा इनके दाम कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): श्रीमान्, चूंकि यह एक बड़ा

उत्तर है, मैं इसे सदन पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर छोटा होना चाहिये ; यदि यह बड़ा है तो इसे पढ़ दिया जाय ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जहां तक गेहूं तथा आटे का सम्बन्ध है, गेहूं की बिल्कुल भी कमी नहीं है तथा सरकारी उचित मूल्य वाली दूकानों तथा केन्द्रीय विक्रय डिपों में गेहूं नियंत्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । यह ठीक है कि हाल ही में देश के कुछ भागों में खुले बाजार में देशी गेहूं के दाम कुछ बढ़ गये थे, किन्तु दामों में यह केवल सामयिक वृद्धि है जो कि प्रायः वर्ष के इस भाग में होती है जो कि फसल का अन्तिम समय होता है । फिर भी सरकार केन्द्रीय विक्रय डिपों, जो कि महत्वपूर्ण उपभोग केन्द्रों में स्थापित हैं, के द्वारा १५ रु० ८ आ० प्रति मन के हिसाब से गेहूं का खुले रूप से वितरण कर रही है ।

इस बात को छोड़ कर कि सरकार चीनी फैक्टरियों के २५ प्रतिशत उत्पादन को ले सकती है, इस समय चीनी के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है । चीनी फैक्टरियों द्वारा चीनी दिये जाने की बात को छोड़ कर चीनी के वितरण पर भी नियंत्रण नहीं है । इसलिये नियंत्रण मल्यों पर चीनी की उपलब्धत का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह सच है कि हाल ही में चीनी के दाम बढ़ गये हैं। मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि चालू वर्ष में चीनी के उत्पादन में कमी हुई है और चीनी उत्पादक तथा व्यापारी यह समझते हैं कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त चीनी उपलब्ध नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी बराबर मिलती रहे तथा इसके दाम स्थिर रहें, सरकार ने निश्चय किया है कि :

१. विदेशों से चीनी का अपेक्षित मात्रा में आयात किया जाय।

२. चीनी की रक्षित मात्रा में से और विदेशों से मंगाई गई चीनी से गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा सहित ३१ रु० प्रति मन के समान दर से चीनी पूरे देश में दी जाय। १५ मई १९५४ के बाद दिये जाने वाले टेंडरों के मामले में इसका मूल्य घटा कर ३० रु० प्रति मन कर दिया जायेगा। ऐसा विचार है कि यह प्रबन्ध कम से कम १९५४ के सितम्बर के अन्त तक रहे।

३. सितम्बर, १९५४ तक खुले रूप से बेचे जाने के लिये फैक्टरियों से चीनी न दी जाय।

४. फैक्टरियों को यह सलाह दी जाय कि खुले रूप से बेचे जाने के लिये पहिले ही दी गई चीनी को शीघ्र ही अन्यत्र भेजा जाय।

५. व्यापारियों को यह सलाह दी जाय कि वे ३१ मई, १९५४ तक अपना माल बेच दें तथा उस तारीख के बाद, यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो जो चीनी बेची नहीं गई हो उसे अपने कब्जे में ले लिया जाय।

श्री डी० सी० शर्मा : अपने प्रश्न में जो स्थिति मैंने बताई है उसमें सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? बड़े बड़े शहरों तथा छोटे छोटे कस्बों में गेहूं, आटा तथा चीनी के दामों को, जो बहुत अधिक बढ़ गये हैं नियंत्रित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १० तारीख को अर्थात् आज से १६ दिन पहिले, जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भेजा था, दाम आज के दामों से भिन्न थे। पूरे देश में दाम बहुत गिर गये हैं। उदाहरणार्थ, कल मैं हापुड़ गया था वहां गेहूं का मूल्य १४ रु० प्रति मन है और दिल्ली में १५ रु० प्रति मन हैं। आटे का दाम १८ रु० प्रति मन है। पंजाब में किसानों को इस बात की आशंका नहीं है कि दाम बढ़ जायेंगे किन्तु यह आशंका है कि मूल्य उचित स्तर से कम हो जायेंगे। सरकार ने यह कार्यवाही की है कि हम मात्रा पर प्रतिबन्ध लगाये बिना इस पूरे क्षेत्र में गेहूं १५ रु० ८ आ० प्रति मन दे रहे हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो सरकारी गोदामों से विदेशी गेहूं दिया जाता है, वह घटिया किस्म का होता है और उसी के कारण बाजार में और दूसरे गेहूं के भाव बढ़ गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : जो विदेशी गेहूं दिया गया है वह किस किस्म का है, और क्या उसका देशी दामों पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यदि किस्म अच्छी नहीं होगी तो उसे कोई खरीदेगा नहीं। विनियंत्रण हो जाने पर बाध्य होकर खरीदने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। किस्म अच्छी होनी चाहिये। आजकल दिये जाने वाले गेहूं की सामान्य किस्म उस समय से अच्छी है जब इस पर नियंत्रण था। यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि खुले बाजार में इसके दाम नियंत्रित दामों से कम हैं। उदाहरणार्थ, कल मैं बाजार गया था। दिल्ली में इस का दाम १५ रु०प्रति मन है जब कि हमारा

दाम १५ रु० ८ आ० प्रतिमन है। कोई भी आदमी हमारा गेहूं नहीं खरीदेगा जब देशी गेहूं, जिसे लोग पसन्द करते हैं, खुले बाजार में १५ रु० प्रति मन बिकता है।

श्री बी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि चीनी के दाम इसलिये अधिक बढ़ जाते हैं क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और क्योंकि झूठे व्यापारियों के नाम से मिलों में वायदे के सौदे होते हैं और बाद में एकाधिकार वाले लोग उसे फिर बेच देते हैं ?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : यह भी एक कारण है किहमने इस महीने की १३ तारीख से वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। हमने एक अधिसूचना जारी की है जिससे वायदे के सौदे पर प्रतिबन्ध लगता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न लेने से पूर्व में माननीय मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं। जिन प्रश्नों का उत्तर इतना लम्बा हो कि उसको पढ़ने में चार मिनिट लगें, तो यह अधिक अच्छा होगा कि उत्तर सदन पटल पर रख दिया जाय और सदस्यों को सूचित कर दिया जाय। इससे समय बचेगा और सभी सदस्य उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे।

दरभंगा मैडिकल कालिज

*२०६०. **श्री एस० एन० दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध दरभंगा मैडिकल कालिज की एम० बी० बी० एस० की डिग्री को मान्यता देने के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है और किस तिथि से लागू होगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) बिहार विश्वविद्यालय की पहिली अप्रैल, १९५३ के बाद दी गई एम० बी० बी० एस० की डिग्रियों को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई है।

श्री एस० एन० दास : क्या उन विद्यार्थियों के मामले पर विचार किया गया है जोकि इस तारीख से पूर्व उस कालिज के एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए, और यदि ऐसा है तो उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : एम० बी० बी० एस० विद्यार्थियों का यह पहिला नियमित दल है जो दरभंगा मैडिकल कालिज के बिहार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाने के बाद निकला है। जो विद्यार्थी १९५३ से पहिले निकले हैं उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कालिज पटना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था और पटना विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों को पहिले से ही मान्यता प्राप्त है।

श्री एस० एन० दास : बिहार विश्वविद्यालय द्वारा इस कालिज का कार्यभार अपने हाथ में लिये जाने तथा पहिले इसके पटना विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होने के बीच की अवधि में कुछ परीक्षायें हुई थीं और विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, उन विद्यार्थियों का क्या होगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : भारत सरकार को संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम का पता है जो कि दरभंगा मैडिकल कालिज में जारी था और जो विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमने इस बात की ओर भारतीय चिकित्सा परिषद् का ध्यान दिलाया है और हमने उससे

तारीख के मामले पर फिर से विचार करने के लिये कहा है।

प्रत्याभूत डाक तथा तारघर

*२०६१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य सरकारें उनके द्वारा प्रत्याभत सभी डाक तथा तार घरों के आय तथा व्यय का समूहीकरण कर सकती हैं तथा प्रत्याभूति के शुद्ध घाटे को ही पूरा कर सकती हैं ;

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के कितने डाक तथा तार घर खोले गये हैं और किन किन राज्य सरकारों ने खोले हैं ; तथा

(ग) क्या सरकार ने इस बात का हिसाब लगाया है कि इस व्यवस्था से राज्य सरकारों को कितना वित्तीय लाभ होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें २८-२-१९५४ तक की सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या २**]

(ग) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन प्रबन्धों से राज्य सरकारों को १$\frac{1}{2}$ लाख रुपये की बचत होगी।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से मुझे पता लगता है कि पश्चिमी बंगाल, यू० पी०, दिल्ली, पेप्सू आदि जैसे महत्वपूर्ण राज्यों ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। इसका क्या कारण है ?

श्री राज बहादुर : हमने इस योजना को पहिली अप्रैल १९५२ से स्वीकार किया है। इससे लाभ उठाना राज्य सरकारों का काम है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिमी बंगाल में थानों के पास १०४ तार घर अब भी खोले जाने हैं और यदि ऐसा है तो क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस बारे में इस मंत्रालय से कहा है या मंत्रालय ने राज्य सरकार को सूचित किया है ?

श्री राज बहादुर : पूछ ताछ किये बिना मैं इसका निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या प्राथमिकता के सम्बन्ध में आसाम राज्य को अधिमान दिया गया है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, यह सच है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सुविधा से कोई लाभ उठाया है ? यदि हां, तो कितने डाक घरों में यह योजना लागू की गई है ?

श्री राज बहादुर : मैंने जो स्टेटमेंट टेबुल पर रखा है, उसमें दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है।

गायों का कृत्रिम गर्भाधान

*२०६३. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ से विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में प्रति वर्ष कितने गायों का गर्भाधान किया जाता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पैदा हुआ बछड़ा प्राकृतिक बछड़े से अच्छा होता है या बुरा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह उतना ही अच्छा है जितना कि प्राकृतिक तरीका और जहां तक मैंने परिणामों को देखा है, यह बहुत संतोषजनक है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह प्रयोग अन्य पशुओं जैसे कि भेंसों पर किया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक गायों का सम्बन्ध है, अच्छे बैलों की बहुत कमी है इसीलिए हम उन पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं किन्तु यदि परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक हुआ तो अन्य पशुओं पर भी यह तरीका प्रयोग किया जायेगा ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या इस प्रकार के गर्भाधान के लिये कुछ शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

डा० पी० एस० देशमुख : सामान्यतया कोई शुल्क नहीं लिया जाता ।

जल की भूतत्वीय खोज

***२०६४. डा० राम सुभग सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का जल के सम्बन्ध में भूतत्वीय स्थितियों का अध्ययन करने के लिये और भूमिगत जल को सिंचाई के लिए प्रयोग करने की संभाव्यता जानने के लिये एक परियोजना चालू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक चालू की जायेगी ; और

(ग) परियोजना का अनुमानित व्यय क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना का प्रारंभिक कार्य शुरु हो चुका है । इसके समाप्त होते ही वास्तविक निर्माण कार्य शुरु हो जायेगा ।

(ग) परियोजना का अनुमानित व्यय ४५ लाख डालर और १.२ करोड़ रुपये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : भूतत्वीय स्थितियों का अध्ययन करने की परियोजना किस क्षेत्र में शुरु की गई है और क्या किसी क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य समाप्त किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : वास्तविक कार्य अभी शुरु नहीं हुआ, किन्तु सर्वेक्षण जारी है । अभी यह १६ राज्यों में होगा और विभिन्न स्थान तथा क्षेत्र स्वयं योजना में बतलाए गये हैं । अब कुछ लोगों का दल यह देखने के लिये दौरा कर रहा है कि कौन से स्थान चुने जायें ।

डा० राम सुभग सिंह : इस योजना के अन्तर्गत कितने नल-कूप खोदे जायेंगे और इनके लिये धन कहां से प्राप्त किया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमख : कुल संख्या ३५० है और जैसा कि मैं ने पहले बतलाया है, अमेरिका ४५ लाख डालर तक की सहायता देगा और व्यय १.२ करोड़ होगा ।

श्री बंसल : क्या सर्वेक्षण दल ने एक मास पहले रोहतक और गुड़गांव के जिलों का दौरा किया था और यदि हां, तो क्या इस की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैंने यह रिपोर्ट अभी नहीं देखी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि भूमिगत जल का प्रयोग करने से जल प्रदाय स्थिति पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई अच्छा काम करते समय, कोई दूसरी बुराई न उत्पन्न हो जाये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या १६ राज्य इसलिये चुने गये थे कि जांच के लिये विभिन्न किस्मों की मिट्टी मिल सके, उदाहरणतया नमक वाला क्षेत्र, गंगा के मैदान का क्षेत्र ? क्या किसी प्रकार का वर्गीकरण किया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुख्यतया दो सिद्धान्त ध्यान में रखे गये थे । एक यह था कि नल कूप भूतत्वीय सामग्री के अनुसार सफल हो सके और दूसरा यह है कि ऐसे क्षेत्र चुने जायें जिनसे कि जल प्रदाय के नहरों आदि द्वारा प्रभावित होने की संभावना न हो ।

जाली रेलवे टिकट

*२०६५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कुम्भ मेले के अवसर पर जाली रेलवे टिकट प्रयोग किये जाते देखे गये थे ; और

(ख) अब तक कितने जाली टिकट पकड़े गये हैं और वे कितने मूल्य के हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

मेडिकल कालेज

*२०६६. **श्री संगण्णा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२, १९५३ और १९५४ में राज्य-वार भारतीय मेडिकल परिषद् द्वारा कितने मेडिकल कालेज अभिज्ञात किये गये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : मेडिकल कालेज भारतीय मेडिकल परिषद द्वारा अभिज्ञात नहीं किये जाते । केवल डाक्टरी संस्थाओं द्वारा दी गई योग्यताएं केन्द्रीय सरकार भारतीय मेडिकल परिषद् से सलाह करने के बाद स्वीकार करती है । एक विवरण जिस में विश्वविद्यालयों के नाम और उन के द्वारा दी गई उपाधियां जो कि १९५२ और १९५४ के बीच स्वीकार की गई थीं, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री संगण्णा : उत्कल विश्वविद्यालय के साथ संलग्न मेडिकल कालेज कब अभिज्ञात किया गया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उत्कल को १५ नवम्बर, १९५१ के बाद अभिज्ञात किया गया था । यह जानकारी सदन पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है ।

श्री संगण्णा : क्या इस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई मेडिकल उपाधियां सरकारी प्रयोजनों के लिए अन्य राज्यों तथा केन्द्र में मानी गई हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : १९५१ के बाद ये मानी जाती हैं ।

सोनई नदी बांध

*२०६७. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का स्वयं अपने अधीक्षण के अधीन या स्थानीय लोगों के द्वारा त्रिपुरा में सोनई नदी पर बांध बनाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : यह मामला त्रिपुरा सरकार के विचाराधीन है।

श्री एस० सी० देव : सरकार इस बांध को बनाने के लिये कितनी राशि देगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो प्रारंभिक जांच भी समाप्त नहीं हुई और में अनुमानित व्यय नहीं बतला सकता ।

श्री एस० सी० देव : पिछले दो वर्षों में जांच करने में विलम्ब का क्या कराण है ?

श्री पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में कोई अधिक विलम्ब नहीं हुआ, किन्तु मैं जांच करूंगा ।

हिन्दी के टेलीप्रिन्टर

*२०६८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टेलीप्रिंटर का प्रयोग सफल रहा है; और

(ख) क्या सरकार नागरी लिपि की टेलीप्रिंटर सर्विस चालू करने का विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। संचालन और गति में सुधार करने और की बोर्ड को प्रमाणित हिन्दी टाइपराइटर के समान बनाने के लिये अग्रेतर प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं। समाचार एजेंसियां उन सर्किटों पर जो उन्हें समाचारों के प्रसारण के लिये किराये पर दिये गये हैं नागरी टेलीप्रिंटरों का प्रयोग करेंगी।

श्री रघुनाथ सिंह : आप ने कहा कि अभी इसका एक्स्पेरिमेंट हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि अभी आपको और कितना समय एक्स्पेरिमेंट करने के लिये चाहिये ?

श्री राज बहादुर : जी, मैंने यह कहा कि बनाया जा चुका है, लेकिन अभी और एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता है क्योंकि जितनी मात्रायें और जितने अक्षर हैं हिन्दी में उनका समावेश इस की मशीन पर नहीं हो पाता है।

श्री एल० एन० मिश्र : टेलीप्रिन्टर का हिन्दी में नाम क्या है ?

श्री राज बहादुर : यदि माननीय सदस्य के पास कोई सुझाव हों तो उन को सादर स्वीकार किया जायेगा।

श्री झाधन गुप्त : क्या भारत की अन्य भाषाओं में टेलीप्रिन्टर बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री राज बहादुर : अभी तक हम ने हिन्दी टेली प्रिंटर बनाना ही आरम्भ किया है।

चीनी शोधक कारखाने

*२०६९. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में एक चीनी शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ; और

(ख) आयात की हुई कच्ची चीनी का मूल्य शोधन के बाद स्थानीय रूप से तैयार की गई चीनी के मूल्य की तुलना में कितना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) यदि कच्ची चीनी पर कोई आयात शुल्क न लगाया जाये, जैसा कि वर्तमान स्थिति है, तो आयात की हुई कच्ची चीनी शोधन के बाद स्थानीय रूप से तैयार की गई चीनी की तुलना में सस्ती होगी।

श्री विश्वनाथ राय : क्या अमुक चीनी शोधक कारखाना केवल आयात की गई कच्ची चीनी का ही शोधन करेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, प्रस्ताव यही है।

श्री एस० एन० दास : ये शोधक कारखाने कहां कहां स्थापित किये जाने वाले हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : बम्बई की एक फर्म का आवेदन पत्र आया है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या कच्ची चीनी का शोधन कार्य इस समय के किसी अन्य चीनी कारखाने में किया जा सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस पर भी विचार किया जायगा।

उत्तरी-पूर्वी सीमा एजेंसी में वन

*२०७०. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तरी-पूर्वी सीमा एजेन्सी में सरकार द्वारा वनों के लिये रक्षित क्षेत्रफल ;

(ख) ये बन किस प्रकार अधिग्रहित किये गये हैं ; तथा

(ग) इन से प्राप्त वार्षिक योग आय तथा इनकी रक्षा पर योग व्यय ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

श्री रिशांग किशिंग : किस प्रकार के कार्यों के लिये इन बन क्षेत्रों में लोगों को काम पर लगाया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह इस प्रश्न से बाहर की बात है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं सरकार की बन सम्बन्धी नीति जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न के लिय पूर्वसूचना चाहूंगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक कार्यक्रम

*२०७१. **श्री जनार्दन रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय किसान यवक कार्यक्रम के विषय में २२ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अमरीका में अध्ययन तथा प्रशिक्षण के लिये कितने उम्मीदवार चुने गये हैं ; तथा

(ख) क्या यह उम्मीदवार राज्यों के आधार पर चुने जाते हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) पच्चीस ।

(ख) नहीं ।

श्री जनार्दन रेड्डी : उनको किस प्रकार की प्रशिक्षा दी जायगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रशिक्षण का कोई भी विचार नहीं है अमरीका का चार एच० क्लब जो विभिन्न देशों के किसान युवकों की अदला बदली की व्यवस्था करता है, कुछ किसान युवकों को बुलाता है और इसी योजना के अन्तर्गत ये किसान युवक अमरीका जायेंगे, वहां के कृषक परिवारों के साथ रहेंगे और अमरीकी तरीकों को सीखने का प्रयत्न करेंगे तथा उनको भारतीय कृषि की स्थिति तथा भारत की स्थितियों को बतायेंगे ।

श्री जनार्दन रेड्डी : इन युवकों का व्यय कौन देगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : पूरा व्यय चार-एच क्लब ही देगा ।

श्री रघुरामय्या : क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यहां भी कुछ अमरीकी किसान युवक आयेंगे और क्या कुछ लोग आ गये हैं या आने की आशा की जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पहले की शर्त के अनुसार नहीं वरन् पारस्परिक सद्भावना के आधार पर पिछले वर्ष नौ किसान युवक यहां आये थे ।

श्री जनार्दन रेड्डी : क्या हमारे कुछ किसान युवकों को किन्हीं अन्य देशों जैसे चीन, जापान आदि भी भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्बन्ध में कोई विशेष मांग नहीं की गई है। यदि ऐसी कोई बात होगी तो उस पर विचार करने में हमें प्रसन्नता होगी ।

श्री एन० राचय्या : इन उम्मीदवारों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है और क्या इसमें कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार भी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ये चुनाव किसी भी दशा में साम्प्रदायिकता के आधार पर नहीं किये जाते हैं।

श्री एन० राचय्या : यह साम्प्रदायिकता पर विचार का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति अगला प्रश्न :

बम्बई-पूना राजपथ

*२०७३. **श्री वाई० एम० मुकणे** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार बम्बई-पूना राजपथ संख्या ४ पर, जहां वह चौक, खोपोली, कामसेठ तथा बादगांव नामक गांवों से होकर जाती है, कोई मोड़ बनवाने का विचार कर रही है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख): खोपोली तथा कामसेठ गांवों के निकट मोड़ बनवाने का विचार किया जा रहा है और चालू पंचवर्षिय योजना में ही आवश्यक परिमाप की व्यवस्था कर दी गई है। परिमाप के परिणाम ज्ञात हो जाने के पश्चात् इसको बनवाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा। इस समय चौक तथा वादगांव गांवों में मोड़ बनवाने का कोई प्रस्ताव सम्मुख नहीं है।

श्री वाई० एम० मुकणे : क्या इन गांवों में घटी दुर्घटनाओं के कोई आंकड़े सरकार के पास हैं और इनमें से प्रतिवर्ष कितनी घातक दुर्घटनायें होती हैं ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इन स्थानों में हुई दुर्घटनाओं के आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास इसके आंकड़े नहीं हैं। अगला प्रश्न।

मार्ग नियम सम्बन्धी चलचित्र

*२०७५. **श्री रघुबीर सहाय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार मार्ग नियम सम्बन्धी चलचित्र बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि ऐसा है, तो अब कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाओं के कोई आंकड़े एकत्र किये गये हैं; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ की मार्ग दुर्घटनाओं की योग संख्या ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां।

(ख) आशा है कि चलचित्र प्रदर्शन के लिये जून १९५४ तक तैयार हो जायगा।

(ग) मोटर-गाड़ियों से सम्बन्धित दुर्घटनाओं के आंकड़े राज्य सरकारों के द्वारा त्रैमासिक एकत्र किये जा रहे हैं।

(घ) उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ४]

श्री रघुबीर सहाय : किस जेन्सी को यह चलचित्र बनाने का कार्य सौंपा गया है और अब तक व्यय के लिये कितनी राशि स्वीकृत की जा चकी है ?

श्री शाहनवाज खां : भारत सरकार का फिल्म डिवीजन।

अध्यक्ष महोदय : वह राशि को जानना चाहते हैं

श्री शाहनवाज खां : मुझे इसका ध्यान नहीं है।

श्री रघुबीर सहाय : क्या चित्र के निर्माताओं से देश की अधिक संख्या में देहात की जनता को ध्यान में रखने के लिये कह

दिया गया है, जिसको मार्ग सम्बन्धी नियमों का बिलकुल ही ज्ञान नहीं है और उन्हीं को मार्गनियमों का बोध कराना है ?

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार ने सड़कों की कम चौड़ाई व एकाएक आ जाने वाले मोड़ों आदि असन्तोषजनक स्थितियों की अब तक जांच की है जिनके कारण दुर्घटनायें अधिक होती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि बात मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होती है ।

डा० सुरेश चन्द्र : इन चलचित्रों के अतिरिक्त सरकार उन लोगों को मार्ग सम्बन्धी नियमों को बताने के लिये क्या कार्य करने का विचार कर रही है, जिनको इन नियमों का ज्ञान नहीं है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं नहीं जानता कि सरकार किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार कर सकती है जो इस प्रकार के नियम न जानने वाले लोगों को ये नियम सिखा सकेगी ।

डा० सुरेश चन्द्र : उन्होंने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया है । मेरा प्रश्न यह था......

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः प्रश्न ही महत्वपूर्ण ढंग से नहीं पूछा गया था। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

डाक के थैलों की चोरी

*२०७७. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बीमे की वस्तुओं तथा पंजीकृत पार्सलों वाले कुछ डाक के थैले मद्रास डाक गाड़ी के डाक के डिब्बे में से दादर तथा कल्यान रेलवे स्टेशनों के बीच ६ अप्रैल, १९५४ को चोरी चले गये थे ?

(ख) यदि ऐसा है तो कुल कितनी हानि हुई थी ?

(ग) जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, किन्तु यह घटना ५ अप्रैल को घटी थी ६ अप्रैल, १९५४ को नहीं ।

(ख) बीमा किये हुए पार्सलों के खो जाने के कारण ५४२ रु० ६ आ० की हानि हुई थी ।

(ग) जांच अभी तक प्रगति पर है, किन्तु कोई भी निर्णय अभी तक नहीं किया जा सका है ।

श्री गिडवानी : क्या अपराधी पकड़ लिये गये हैं और वस्तुयें मिल गई हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मैं जानता हूं, जांच अभी भी प्रगति पर है । हम अभी तक किसी को पकड़ नहीं सके हैं । यह पता लगा है कि लम्बी सुरंग पार करने के पश्चात् एक मिनट के लिये गाड़ी रोकी गई और सम्भवतः उसी स्टेशन तथा कल्यान स्टेशन के बीच यह घटना घटी होगी।

अंशदायी चिकित्सा योजना

*२०७८. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अंशदायी चिकित्सा योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को किस क्रम के अनुसार अंशदान देना पड़ेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : एक विवरण जिसमें अंशदान का प्रस्तावित क्रम दिखाया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ५]**

श्री जेठा लाल जोशी : यह योजना अनिवार्य है या ऐच्छिक?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अनिवार्य है

श्री जेठालाल जोशी : क्या योजना में इंजेक्शनों की कीमत या बड़े बड़े ऑपरेशनों के लिये व्यवस्था है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इसमें विशेष प्रकार के सारे इलाज शामिल हैं ।

श्री जेठालाल जोशी : इस योजना का लाभ उठाने के लिये कितने कर्मचारी इसमें अंशदान देंगे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : योजना में लगभग दो लाख सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य शामिल होंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हाल ही में जो चिकित्सा-सुविधायें दी गई हैं, वे निःशुल्क नहीं हैं, बल्कि यह सुविधायें वास्तव में अंशदायी चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आ जाती हैं, जिसमें उन्हें शामिल कर लिया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां, ऐसा ही है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसमें बहुत कम देना पड़ेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या लोगों को किसी भी प्रकार का इलाज करवाने की आज़ादी होगी या सरकार यह शर्त रखेगी कि केवल एलोपैथिक इलाज ही करवाया जाय ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : आधुनिक दवाइयों के आधार पर ही इलाज होगा ।

चम्बल नदी पर बांध

*२०७९. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर धौलपुर के समीप चम्बल नदी पर बांध बनाने के काम की प्रगति क्या है ; और

(ख) इस पर अब तक कितना खर्च हुआ है और कुल खर्च का क्या अनुमान है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इसके लिये टेंडर आ गये हैं और जल्दी ही काम शुरू कर दिया जायेगा ।

(ख) प्रारंभिक सर्वेक्षण तथा जांच-परताल पर लगभग ४६,००० रुपया खर्च हो चुका है । इसकी अनुमानित लागत ४१·३० लाख रुपये होगी ।

श्री आर० सी० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस राजपथ का निर्माण इसी पंचवर्षीय योजना काल में समाप्त होने वाला है ?

श्री शाहनवाज़ खां : काम इसी साल शुरू हो रहा है और उम्मीद है कि जल्दी खत्म हो जायगा ।

श्री आर० सी० शर्मा : मेरे पूछने का तात्पर्य यह था कि क्या इसी पंचवर्षीय योजना के काल में यह राष्ट्रीय राजपथ निर्माण हो जायगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, उम्मीद ऐसी ही करते हैं ।

श्री एन० एल० जोशी : इस पुल के निर्माण में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का अंशदान क्या होगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : पुल की कुल अनुमानित लागत ४१·३० लाख रुपये है और इसका सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार उठा रही है ।

रतलाम के समीप मालगाड़ी का पटरी से उतरना

*२०८०. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ अप्रैल, १९५४ को पश्चिमी रेलवे के रतलाम और दोहद स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के १७ डिब्बे पटरी से उतर गये ;

(ख) इससे रेलवे और जनसाधारण की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस दुर्घटना के कारण क्या थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) १३-४-१९५४ को दिन के लगभग दो बजकर ३५ मिनट पर पश्चिमी रेलवे के रतलाम-दोहद सेक्शन पर जब नम्बर १०३८ अप मालगाड़ी बजरंग गढ़ स्टेशन से रवाना हो चुकी थी तो यार्ड में पहुंचकर एक प्वांइट के ऊपर उस के १४ डिब्बे पटरी से उतर गये थे इंजन से लगे १७ डिब्बे उस प्वांइट के ऊपर से अच्छी तरह निकल चुके थे ।

(ख) इस में न तो कोई मारा गया और न ही किसी के चोट आई । लोगों की सम्पत्ति का भी कोई नुक्सान नहीं हुआ । रेलवे सम्पत्ति को अनुमानतः २०४० रुपये की हानि हुई है ।

(ग) इसमें रेलवे के सहायक अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच हो रही है ।

श्री डामर : जिन रेलवे कर्मचारियों की असावधानी से यह घटना घटी है क्या उन के खिलाफ रेलवे मंत्रालय कार्यावाही करेगा ?

श्री शाहनवाज खां : अगर उसमें किसी का कुसूर पाया गया तो जरूरी तौर पर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एन० एल० जोशी : १९५३ में पश्चिमी रेलवे पर कुल कितनी दुर्घटनायें हुई ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता

हड्डी के चूरे की खाद

***२०८२. पंडित डी० एन० तिवारी** : **खाद्य तथा कृषि** क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) हड्डी के चूरे की खाद बनानें के लिये नये प्रकार का जो "डाइजेस्टर" बनाया गया है, उसका मूल्य और उत्पादन-क्षमता क्या है ;

(ख) १९५३-५४ में ऐसे कितने "डाइजेस्टर" बनाये गये ; तथा

(ग) इन "डाइजेस्टरों" द्वारा उत्पादित हड्डी के चूरे की खाद की लागत क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :

(क) मूल्य : लगभग २५०० रुपये, जिसमें सहायक भागों का मूल्य भी शामिल है ।

उत्पादन क्षमता : इससे ८-९ घंटे में ४ बार भरे जाने पर भाप द्वारा लगभग १००० पौंड कच्ची हड्डियों की खाद बनाई जा सकती है ।

(ख) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) हड्डी के चूरे की लागत हड्डी के मूल्य पर नर्भर करती है । यदि हड्डी का मूल्य १०० रुपये प्रति टन है तो हड्डी के चूरे लागत भी १७० से १८० रुपये प्रति टन तक होगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : देश में हड्डी के चूरे का कुल कितना उत्पादन होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अनुमान है कि देश में लगभग ५ लाख टन कच्ची हड्डियां उपलब्ध होती हैं, जिसमें से १,२५,००० टन का प्रयोग किया जाता है । मैं यह ठीक ठीक नहीं बता सकता कि कितने हड्डी के चूरे को काम में लाया जाता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इसे निर्यात किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैंने इस विषय पर कुछ समय पहले इस सदन को सूचना दी थी । हम केवल बड़े टुकड़ों का ही निर्यात कर रहे हैं । मैंने इन की लम्बाई-चौड़ाई भी बताई थी ।

श्री एन० बी० चौधरी : यह संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया है ; क्या वहां हड्डियां अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने सारी राज्य सरकारों को परिपत्र भेजा है और मुझे पता चला है कि बहुत से संयंत्र लग चुके हैं। मुझे यह भी पता चला है कि कुटीर-उद्योग बोर्ड तथा गांधी स्मारक निधि इस विषय में कुछ कर रहे हैं।

एयर-इंडिया इंटरनेशनल

***२०१३. डा० राम सुभग सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर-इंडिया इन्टरनेशनल के कुछ कर्मचारियों को 'कोमेट' वायुयानों की उड़ान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण लेने के लिये इंग्लैंड भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) वे किन कम्पनियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; तथा

(घ) उनके प्रशिक्षण की अवधि क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). निगम के छः अधिकारी, जिनमें से तीन भारत में नियुक्त थे और तीन लन्दन में, हाल ही में 'कोमेट' वायुयान के इंजीनियरिंग तथा संचालन सम्बन्धी मुख्य पहलुओं के बारे में अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिये इंग्लैंड गये थे। यह प्रशिक्षण 'कोमेट' के निर्माता, मेसर्स डी हैवीलैन्ड एयरक्राफ्ट कम्पनी लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था।

(घ) नौ या दस दिन।

डा० राम सुभग सिंह : क्या एयर-इंडिया इन्टरनैशनल के पास, जिसके अधिकारी 'कोमेट' की उड़ान के सम्बन्ध में इंग्लैंड भेजे गये थे, कोई 'कोमेट' वायुयान है; यदि नहीं, तो क्या वह उसे ख़रीदने का विचार करती है ?

श्री राज बहादुर : जैसा सदन को पता है, एयर-इंडिया इन्टरनेशनल ने सरकार की स्वीकृति से दो 'कोमेट-३' वायुयानों के लिये आर्डर दिया है, जो १९५७ में उसे मिलेंगे :

डा० राम सुभग सिंह : इस वायुयान का अनुमानित मूल्य कितना है ?

श्री राज बहादुर : मुझे ठीक ठीक पता नहीं परन्तु मेरे विचार में यह ५० लाख रुपये से अधिक ही है।

श्री साधन गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि 'कोमेट' वायुयानों का ऊपर हवा में फट जाने का ख़तरा रहता है, क्या मंत्रालय फिर भी इन्हें ख़रीदने का विचार करता है ?

श्री राज बहादुर : यह तो एक ज़रूरी बात है कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जायेगा कि 'कोमेट' वायुयान उड़ान करने योग्य हैं और जब तक स्वयं निर्माताओं को इस सम्बन्ध में विश्वास नहीं हो जायेगा तब तक इन्हें ख़रीदने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कोमेट के निर्माता स्वयं इन वायुयानों में कुछ परिवर्त्तन कर रहे हैं, क्या इन अधिकारियों को, जो प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजे गये थे, नये परिवर्तनों और नये तरीक़ों को जानने के लिये फिर से प्रशिक्षण के लिये भेजा जायेगा ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैंने बताया, यह कोई नौ या दस दिन का छोटा सा प्रशिक्षण-क्रम था। जैसा समझौते की शर्तों के अनुसार तय किया गया था, हमें इस पर कोई ज्यादा ख़र्च नहीं करना पड़ा।

भारतीय सड़क कांग्रेस

***२०८४. श्री डी० सी० शर्मा : क्या परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या **५ फरवरी १९५४ को** भुवनेश्वर में भारतीय सड़क कांग्रेस का **१८** वां अधिवेशन हुआ था; और

(ख) क्या राष्ट्रीय राज-पथ के सम्बन्ध में कांग्रेस ने कोई निर्णय किये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :(क) ४ से ११ फरवरी तक भुवनेश्वर में भारतीय सड़क कांग्रेस का १८वां अधिवेशन हुआ था ।

(ख) भारतीय सड़क कांग्रेस एक गैर सरकारी निकाय है और उसे राष्ट्रीय राज-पथों पर निर्णय करने का अधिकार नहीं, जो-कि केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या भारतीय सड़क कांग्रेस की सिफारिशों पर--यदि हम उन्हें इस नाम से पुकारें--सरकार ने विचार किया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : श्रीमान्, निश्चय ही ऐसा होता है । वह विशेषज्ञों की एक मंत्रणाकार निकाय है और सरकार उनकी सिफारिशों पर बहुत ध्यान देती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : भारत में राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में भारतीय सड़क कांग्रेस की सिफारिशें क्या हैं, और क्या उन पर विचार किया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : प्रश्न का निश्चित सम्बन्ध गत अधिवेशन से है जो उन्होंने किया था ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु क्या उन्होंने गत अधिवेशन में कोई सिफारिशें की थीं ।

श्री शाहनवाज़ खां : उन्होंने अभी तक कोई सिफारिशें नहीं कीं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या उस कांग्रेस ने केन्द्रीय सरकार के विचार के लिये कोई निश्चित सिफारिशें की हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा मैंने पहले बताया, अभी तक गत अधिवेशन की सिफारिशें नहीं मिलीं ?

श्री डी० सी० शर्मा : भारत में राष्ट्रीय राजपथों के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अत्याधिक सामान्य प्रश्न है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मेरा अभिप्राय राष्ट्रीय राज-पथों की लम्बाई बढ़ाने के सम्बन्ध में है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई १३,४७७ मील है । हमारी नीति १३,४७७ मील की लम्बाई को पूरा करने की है अर्थात विदित कालावधि में नदियों पर पुल बनाने और अन्तर को भरने आदि की नीति है ।

पत्तन आयुक्त कलकत्ता

***२०८५. श्री एस० सी० सामन्त : क्या परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों को ७५.५ लाख रुपये से ऊपर घाटा होने वाला है ;

(ख) यदि ऐसा है तो आय घटने के क्या कारण हैं; और

(ग) अनुमानित घाटा किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वर्ष १९५३-५४ के संशोधित आयव्ययक प्राक्कलनों में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को ११०.७५ लाख रुपये का घाटा होने वाला है और १९५४-५५ के

आयव्ययक प्राक्कलनों में ५७·६ लाख रूपये के घाटे का अनुमान है।

(ख) यातायात कम हो जाने के कारण आय में कमी हो गई है।

(ग) पत्तन आयुक्त अंशतः अपनी रक्षित निधि में से निकाल कर और अंशतः पत्तन सम्बन्धी कर बढ़ा कर घाटा पूरा करने का विचार रखते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : घाटे में कितनी वृद्धि पोतमार्ग प्रदर्शन पद्धति के कारण हुई है ?

श्री अलगेशन : जहां तक इस का सम्बन्ध है, यह सदा रहा है। हम पूना गवेषणा केन्द्र द्वारा हुगली नदी में नौवहन के प्रयोग कर रहे हैं। इस का परिणाम मिल चुका है और हमने एक झील की रचना की है जो पूरी होने वाली है। मेरा विचार है कि इस के परिणाम पहले मिल चुके हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि १९५३ के आय-व्ययक में पत्तन आयुक्तों ने २२ लाख रुपये के घाटे का अनुमान लगाया था जब कि वस्तुतः १ करोड़ १० लाख रुपये का घाटा हुआ ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार यह समझती है कि १९५४-५५ में अधिक घाटा होगा ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य प्रायः इस प्रकार की शंकायें प्रदर्शित करते हैं। मेरे पास १९५३-५४ से सम्बन्धित आयव्ययक आंकड़े नहीं हैं जिन से तुलना की जा सके।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार ने पत्तन में घाटे के मूल कारण की ओर ध्यान दिया है जिसे गंगा का बांध बना कर दूर किया जा सकता है ?

श्री अलगेशन : तो माननीय सदस्य ज्यूं त्यूं गंगा के बांध की बात को इस में ला रहे हैं। जैसा मैं ने पहले बताया यह घाटा यातायात कम होने के कारण है। १९५३-५४ में यातायात आयव्ययक ९३ लाख टन था जबकि संशोधित प्राक्कलनों में ८०·५ लाख टन रखा गया। यह मुख्य कारण है। पत्तन आयुक्त भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बचत किस प्रकार संभव है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या अन्य कारणों में से कलकत्ता पत्तन को कोयला ले जाने के लिये माल गाड़ी के डिब्बों का अभाव भी एक कारण है जिस से आय कम हुई है ?

श्री अलगेशन : वस्तुतः कोयले का विदेशी निर्यात कम हो गया है और——माल के डिब्बों की कमी नहीं——वरन् यह एक सहायक कारण है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यातायात में १० लाख टन की कमी ही १ करोड़ रुपये के घाटे के लिये पूर्णतः उत्तरदायी है ?

श्री अलगेशन : उस से ३० लाख रुपये का घाटा हुआ है। दूसरे भाग में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन समुद्रीय, तटीय और अन्य कर्मचारियों को अतिरिक्त समय के अवशेष भुगतान का अत्याधिक व्यय है, जो कि ८१ लाख रुपये है।

अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी

*२०८६. **श्री जनार्दन रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मार्च १९५४ के अन्तिम सप्ताह में बहादुरगढ़ में एक भारतीय पशु प्रदर्शिनी का प्रबन्ध किया गया था; और सब से अच्छे पशुओं को पुरस्कार दिया गया था;

(ख) यदि ऐसा है तो वहां कितने पशु दिखाये गये; और

(ग) किस राज्य को, तथा किस नस्ल के लिये सर्वोत्तम पशु पुरस्कार दिया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ६०० ।

(ग) सर्वोत्तम पशु के लिये प्रथम पुरस्कार हैदराबाद के दियोनी बैल और पंजाब की मर्राई भैंस, में बांटा गया था ।

श्री जनार्दन रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो अच्छी नस्ल के कैटिल पाये गये हैं उस नस्ल को पूरे मुल्क में फैलाने की तजवीज है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, जितनी भी अच्छी नस्ल हिन्दुस्तान में मौजूद है, उन सब की तादाद बढ़ाने की कोशिश है ।

श्री जनार्दन रेड्डी : क्या इस प्रकार के कैटिल शो हर प्रांत में करने की कोई तजबीज़ गवर्नमेंट के सामने है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, यह आल इंडिया शो, एक जो हमारी सोसायटी है उसके मातहत होते हैं और इरादा यह है कि एक से ज्यादा जगहों पर यह रीजनल शो आर्गेनाईज़ किये जायें ।

श्री दाभी : कितने पुरस्कार दिये गये और वे किन नस्लों को दिये गये ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास उन सब की सूची नहीं है । पशुपालकों को नकद १८,००० रुपये के १५४ से ऊपर पुरस्कार और ४५,००० रुपये की ट्राफियां दी गई थीं ।

डा० रामा राव : क्या इस पशु प्रदर्शिनी में प्रसिद्ध ओंगोल नस्ल दिखाई गई थी, और यदि नहीं तो क्यों ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में ओंगोल लोगों ने इस प्रदर्शिनी में आने का कष्ट नहीं उठाया ।

दिल्ली के लिये चावल

*२०८७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिये अच्छा चावल दिये जाने का प्रबन्ध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना चावल दिया जायगा, और कहां कहां से ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ख). १ मार्च, १९५४ से चावल पर से नियंत्रण हटा दिया गया है और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को दिल्ली की मांग के अनुसार किस्म के २०,००० टन चावल उत्तर प्रदेश से आयात करने की अनुज्ञा दी गई है । दिल्ली को पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर तथा दिल्ली के मुक्त प्रदेश में शामिल कर लिया गया है और अब पंजाब तथा पेप्सू के अतिरिक्त चावल के राज्यों से अपेक्षित किस्म के चावल दिल्ली में आने आरम्भ हो जायेंगे ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो चावल दिल्ली में दिया जा रहा है क्या वह सर्वसुलभ मूल्य के ऊपर नहीं है, यानी मंहगा दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अधिक ऊंचे भाव पर दिया जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : दिल्ली में १८ मार्च से चावल का भाव घट रहा है । दिल्ली अब पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुक्त प्रदेश में है । यह अब मुक्त प्रदेश है । पंजाब से अतिरिक्त चावल पहले ही आ चुका है और दिल्ली का भाव घट गया है। यह आठ से चौदह आने तक है । साधारण चावल आठ आने पर बिक रहा है । और

अन्य चार या पांच किस्में १२ या १३ आने पर बिक रही हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो बासमती चावल दिल्ली में मिल रहा है, वह १ रु० ४ आने और १ रु० ३ आने सेर के हिसाब से मिल रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १ रु० ३ आने के लगभग था लेकिन १ रुपये सेर है और थोड़े रोज़ में और कम हो सकता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि किस किस वेराइटी का चावल दिल्ली में बेचने की इजाज़त यहां के व्यापारियों को दी गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि उस किसम के चावल के अतिरिक्त जो हमने पंजाब और उत्तर प्रदेश से मंगाने की अनुज्ञा दी है, हमने कुछ अत्युत्तम किस्म का चावल--सांझा चावल--आंध्र से मंगवाने का भी प्रबन्ध किया है, क्योंकि दक्षिण भारतीय इस चावल को पसन्द करते हैं । और अब हम कुछ चावल बंगाल से आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसे बंगाली लोग सामान्यतः पसंद करते हैं । और यदि कुछ व्यापारी बिहार और मध्य प्रदेश से चावल आयात करने के लिये तैयार हों तो हम इस की अनुज्ञा देने के लिये तैयार हैं ।

रेलवे में भोजन-व्यवस्था

*२०२८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलों की भोजन व्यवस्था के ठेकेदारों के प्रतिनिधियों और रेलवे मंत्रालय के बीच हाल ही में नई दिल्ली में हुई एक बैठक में रेलवे की विद्यमान भोजन व्यवस्था को

114 PSD.

सुधारने के उपायों पर विचार किया गया था ; तथा

(ख) यदि सच है, तो इसके प्रतिफल ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). हां, भारतीय रेलवे में भोजन व्यवस्था का स्तर सुधारने के अच्छे से अच्छे उपायों पर विचार करने के लिये भोजन व्यवस्था का ही कारबार करने वाले लोगों के विचार जानने की दृष्टि से २८ जनवरी, १९५४ को भोजन व्यवस्था के ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी । निम्न बातों पर विचार किया गया था :—

(१) एक प्रमापी दाम पर एक प्रमापी भोजनसूची को स्वीकार करना ;

(२) कुछ इकट्ठे क्षेत्र विशेष ठेकेदारों को देने के लिये विद्यमान ठेकों के पुनर्वितरण की आवश्यकता ;

(३) ठेकों का फिर उठाया जाना बंद करना ;

(४) भारतीय पद्धति के भोजन-व्यवस्थापकों को पश्चिमी पद्धति की भोजन-व्यवस्था सौंपने की संभाव्यता ; तथा

(५) नवनिर्मित भोजन व बफे-गाड़ी की उपयुक्तता ।

अंतिम निर्णयों पर पहुंचने में उक्त बातों के बारे में व्यक्त किये गये विचारों का भी उचित ध्यान रखा जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या रेलों की भोजन व्यवस्था के सुधारने के लिये उस बैठक द्वारा सुझाये गये उपायों को कार्यान्वित किया गया है ; और यदि किया गया है तो क्या कोई सुधार हुआ है ?

श्री शाहनवाज़ खां : सिफारिशों पर अभी विचार हो रहा है और अभी कुछ अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है, पर मैं बता दूं

कि उस बैठक के बाद कई व्यक्तियों ने मुझे बताया है कि भोजन व्यवस्था का स्तर सुधर गया है ।

श्री हेडा : क्या यह सच नहीं है कि खोमचे-वालों ने सरकार से शिकायत की है कि ये ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, और यदि की है तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है और किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ?

श्री शाहनवाज खां : इस बारे में खोमचे-वालों से अभ्यावेदन मिला है और एक उच्च शक्तिशाली समिति, जिसके सभापति माननीय उपमंत्री हैं, इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है ।

श्री गिडवानी : क्या बड़े ठेकेदारों को अनुज्ञप्तियां देने के स्थान पर छोटे ठेकेदारों को अनुज्ञप्तियां देने का विचार किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : इस बात पर भी गंभीर रूप से विचार हो रहा है ।

पंजाब में छोटे-मोटे सिंचाई कार्य

*२०८९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने हाल में पंजाब में छोटे-मोटे सिंचाई कार्यों के लिये एक कार्यक्रम मंजूर किया है ; तथा

(ख) यदि किया है, तो उसके लिये आवंटित राशि ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) रु० २३३·३७ लाख ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई निदेश दिया है कि होशियारपुर जिले के ऊना और कांगड़ा जिले के हमीरपुर जैसे अभावग्रस्त स्थानों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम किसी राज्य सरकार को कोई विशेष स्थान नहीं बताते । पर चूंकि हम विशेषतः अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये विशेष उपबन्ध करना चाहते हैं, साधारणतः इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य विशेष के अभावग्रस्त क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाये ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई निदेश दिया था कि हमीरपुर और कांगड़े के पिछड़े ज़िलों की दशा का विशेष ध्यान रखा जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि हम इस प्रकार का निदेश देने लगें, तो हम सीमा का अतिक्रमण कर जायेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार की नीति यह है कि इसके वितरण के विषय में राज्य सरकार को कोई निदेश न दिया जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य सरकारें उत्तरदायी सरकारें हैं और मुझे विश्वास है कि उचित चुनाव के बारे में वे कोई गलती न करेंगी ।

श्री हेडा : यदि निदेश के बावजूद राज्य सरकारें कुछ अभावग्रस्त क्षेत्रों पर ध्यान न दें, तो केन्द्रीय सरकार क्या कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे विश्वास है कि वे यथावश्यक काम करेंगी ।

श्री एस० एन० दास : इस तथ्य की दृष्टि में कि पंजाब में छोटी मोटी सिंचाई योजनायें माननीय मंत्री ने बनाई हैं, क्या वह सभी राज्यों के बारे में पूरे पूरे ब्योरे देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रत्येक राज्य से आने वाले प्रत्येक सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है और अधिकांश उत्तर सदन को पहले से ही विदित हैं ।

इंजन और डिब्बे

***२०७६. श्री टी० के० चौधरी : (श्री एन० श्रीकांतन नायर** की ओर से): क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत अमरीकी प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन कितने इंजन और डिब्बे खरीदे गये हैं ; तथा

(ख) किन देशों से और किन दामों पर ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अब तक एक भी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : श्रीमान्, २०६२ ।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास अधिकार पत्र है ?

श्री एम० डी० राम स्वामी : हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : उसे समय से बता दिया करें । आप प्रश्न पूछ सकते हैं ।

रेलवे के संवरण-पद

***२०६२. श्री एम० डी० रामस्वामी : (श्री मुनिस्वामी** की ओर से) : (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रु० १५०–२२५ की वेतन श्रेणी के कुछ पद संवरण-पद के रूप में वर्गीकृत किये जा रहे हैं ?

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस प्रकार वर्गीकृत पद कौन कौन से हैं ?

(ग) क्या यह वर्गीकरण की शक्ति व्यक्तिगत रेलवे-प्रशासनों को दे दी गई है अथवा सभी भारतीय रेलों में एक रूप नीति अपनाई जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

(ग) यथासंभव एकरूप नीति अपनायी जायेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : सेलेक्शन पोस्ट्स (संवरण पदों) के लिये ज़ोनल सिस्टम (खंडीय प्रणाली) बनने के बाद क्या यह सच है कि जो पुरानी एरियाज थीं, उन में जो लोग कार्य करते थे उनको वह जगहें नहीं दी जाती हैं ?

श्री अलगेशन : यह सच नहीं है । रेलवे बोर्ड ने कुछ एकरूप नीति बना रखी है और उन सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न रेलवे प्रशासनों से कहा गया है कि संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार करें ।

सरदार ए० एस० सहगल : सेलेक्शन ग्रेड्स के सम्बन्ध में इस तरह की कितनी रिपोर्टें रेलवे बोर्ड और मंत्री महोदय के पास पहुंची हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जो सवाल है वह दूसरे विषय पर है । माननीय सदस्य कुछ गलती कर रहे हैं । जिन बातों को वह पूछ रहे हैं उन का इस सवाल से कोई मतलब नहीं है । सवाल सिर्फ यह है कि एक हद्द तक सीनियारिटी (ज्येष्ठता) से प्रमोशन (पदोन्नति) देने का फैसला रेलवे मिनिस्ट्री ने किया । उसी के अन्दर कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके लिये सीनियारिटी से नहीं बल्कि सेलेक्शन से भरने का फैसला किया गया है । सवाल यह था कि आया उन सब जगहों के लिये एक सी पालिसी होगी या कि कुछ फर्क होगा, तो उसका जवाब यह है कि हम इस के रूल्स बना रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि

हमारी एक यूनिफार्म (एकरूप) पालिसी (नीति) होगी :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल पूरा हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय नौवहन

***२०७२. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में इस देश के व्यापार का कुल कितना अंश भारतीय नौवहन द्वारा ढोया गया था ?

(ख) भारतीय नौवहन के लिये निर्यात व्यापार का अपेक्षतया अधिक अंश दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सूचना केवल १९५३ के पत्रीय वर्ष के बारे में उपलब्ध है, और इसमें बताया गया है कि भारतीय नौवहन ने उक्त वर्ष में विदेशी निर्यात व्यापार में ३,८८,५६८ मृतभार टन माल ढोया था । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान १९ अप्रैल, १९५४ को श्री रघुनाथ सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७० की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ख) चूंकि नौवहन हमारी अर्थ व्यवस्था के निजी खंड में है और हमारा निर्यात व्यापार भी मुख्यतः निजी लोगों के हाथ में है । यह तो भारतीय नौवहन कम्पनियों का ही काम है कि विदेशी व्यापार के लिये चलने वाले अपने जाहाजों के लिये पर्याप्त माल प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करें । सरकार भारतीय नौवहन कंपनियों को अपने द्वारा नियंत्रित माल का या अपने माल का यथासंभव अधिक भाग ढोने के लिये देने की यथासंभव चेष्टा कर रही है ।

कृषि फारम, सुल्तानपुर

***२०७४. श्री एस० के० रज़मी :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुलतानपुर के कृषि फारम पर अब तक कितना व्यय हुआ है और १९५३-५४ में सरकार का वहां कितना व्यय करने का विचार है ?

(ख) इस भूमि पर सरकार कितने भूमिहीन कृषक परिवारों को बसाने का विचार करती है और श्रमिकों को वहां क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

(ग) जिस भूमि पर यह फारम बनाया जा रहा है वह राज्य सरकार की थी या कि किसानों और कृषकों से प्राप्त की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) सितम्बर १९५३ से, जब से कि यह फारम बनाया जा रहा है, ३१ मार्च, १९५४ तक ५,५२,९०० रुपये का प्राक्कलित व्यय हुआ है ।

(ख) एक हजार परिवार । उनको ये सुविधायें दी जायेंगी : (१) प्रत्येक परिवार को एक झोंपड़ी बनाने के लिये ५०० रुपये तक की राज्य सहायता ; (२) स्कूल, पंचायत घर, औषधालय तथा पीने के पानी के कुंओं की व्यवस्था, तथा (३) कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सहायता ।

(ग) इसका कुछ भाग निष्क्रांत व्यक्तियों का है जिन से यह राज्य सरकार ने प्राप्त किया है । फारम का सारा क्षेत्र मिला हुआ रखने के लिये कुछ भूभाग जो कि स्थानीय कृषकों के थे, उनसे लिये गये हैं और उनको उनके बदले में उन्ही भूभागों के समीप ट्रेक्टरों द्वारा कृषि-योग्य बनाई हुई भूमि दी गई है ।

भारतीय बागान अधिनियम

*२०८१. श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय बागान नियम १९५१ के अन्तर्गत बनाये गये अधिनियमों के प्रारूप पर चर्चा करने के लिये एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाये जाने का विचार है ; तथा

(ख) यदि 'हां', तो कब ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां, ।

(ख) आदर्श नियमों का प्रारूप नियोजकों तथा श्रमिकों के संगठनों में परिचालित कर दिया गया है उनकी टीकायें इस मास के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है । उन टीकाओं के दृष्टिगोचर नियमों के प्रारूप पर पुनः परीक्षण किये जाने के पश्चात् त्रिदलीय सम्मेलन की तारीख निश्चित कर दी जायेगी ।

चाय बागान के श्रमिकों की मजूरी

४४६. श्री दशरथ देव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा के चाय बागों के श्रमिकों के संगठनों ने यह मांग की है कि मजूरी की दर बढ़ाने के लिये एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाये ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार का यह सम्मेलन कब बुलाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) । त्रिपुरा की सरकार के पास मजदूर संघों के अभ्यावेदन आये हैं कि चाय बागों के श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दरें बढ़ा दी जायेंगी । राज्य सरकार इस मामले की ओर ध्यान दे रही है ।

टेलीफोन कनेक्शन

४४७. डा० राम सुभग सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार पटना में और टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने कनेक्शनों की तथा कब ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) ३१-५-५४ तक ८० कनेक्शन ।

अभ्रक खान श्रमिक कल्याण

४४८. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ तथा १९५३ में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण मंत्रणा समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और किस किस स्थान पर ?

(ख) उसने क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ६]

काम दिलाऊ दफ्तर

४४९. { श्री वाई० एम० मुकणे :
श्री नटवाडकर :
श्री बी० के० पटेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ में राज्यवार कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के स्नातकों, अवर-स्नातकों, मैट्रिक पासों तथा अन्य लोगों ने अपने नाम विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में पञ्जीबद्ध कराये; तथा

(ख) उनमें से प्रत्येक उक्त श्रेणी के कितने कितने लोगों को नौकरी दिलाई गई ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ७]

मंगलवार,
२७ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18·3·92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४—१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९—निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०—अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१—स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४—मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५—टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७—वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१—असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२—विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५—भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

146 L S D

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८७
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९०
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय म संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८

सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

	पृष्ठ भाग
मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	३६१७–३६१८
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन	३६१७
वित्त विधेयक—असमाप्त	३६१८–३६८८
बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४	
राज्य परिषद् से सन्देश—	
शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य	३६९०
"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज	३६९०
वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत	३६९०–३७६२
बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४	
याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन	३७६३
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	३७६३–३७६४
वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३७६४–३८६८
शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९५४	
सदन का कार्य	३८६९–३८७०
सरकारी विधेयकों का क्रम	३८७०–३८७२
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३८७२–३८८४
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित	३८८४–३९०४
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३९०४
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९०५–३९२०
खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९२०–३९३०
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७-३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८-३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३९५६-३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३९७३-४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक—पारित ४०४०-४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ४०४२-४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र— ४०४५-४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुर्नवितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६-४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक—पारित ४०५४-४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना —

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२-४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९-४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक—पारित ४१०५-४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित ४१०९-४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०-४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुर:स्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित करने के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४१२२-४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—
माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—
सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—
माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—
फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--असवीकृत ४३६६-४३६१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३६१-४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १६ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३-४४०६

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०-४४६६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१-५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४६७

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४६७-४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१-४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७-४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

सांसदीय वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृतान्त

लोक सभा

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-०५ म० पू०

राज्य परिषद से सन्देश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २२ अप्रैल, १९५४ को पारित वित्त विधेयक, १९५४ के बारे में राज्य परिषद् को लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

याचिका-समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मैं याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

खाद्य-स्थिति सम्बन्धी याचिका

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि सदन पटल पर रखे गये विवरण के अनुरूप एक याचिका, जो देश की वर्तमान खाद्य स्थिति के बारे में है, प्राप्त हुई है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिए अपर्याप्त परिवहन सविधायें

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० एन० मिश्र, श्री ए० पी० सिन्हा तथा श्री भागवत झा आज़ाद से एक पूर्वसूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने रेलवे मंत्री का ध्यान उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं की ओर आकर्षित किया है।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जो यातायात उत्तर बिहार के लिये बड़ी लाइन द्वारा होता है उसे मुकामीघाट, भागलपुर तथा मनिहारी-सकरीगली घाट होकर छोटी-छोटी नौकाओं द्वारा गंगा पार करनी पड़ती है। वह बनारस के पास मनदुआदिह होकर एक लम्बे मार्ग से भी ले जाया जाता है। कितना यातायात नौकाओं द्वारा नदी के पार ले जाया सकता है, यह नदी की गति पर निर्भर है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि नौकाएं दिन भर में कितने चक्कर लगा सकती हैं। १९५३-५४ के अन्त में, नदी की स्थिति विगत कई वर्षों की स्थिति की अपेक्षा अति अधिक प्रतिकूल रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि तीन स्थानों से होकर बड़ी लाइन के २१५ डिब्बों से जितना यातायात प्रतिदिन नदी पार हो सकता था उससे २० प्रतिशत कम हुआ है।

रेलवे यातायात की कुल मात्रा में जो अनिवार्य कमी हुई वह सम्भवतः मनदुआदिह

लोक सभा

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-०५ म० पू०

राज्य परिषद से सन्देश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २२ अप्रैल, १९५४ को पारित वित्त विधेयक, १९५४ के बारे में राज्य परिषद् को लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

याचिका-समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मैं याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

खाद्य-स्थिति सम्बन्धी याचिका

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि सदन पटल पर रखे गये विवरण के अनुरूप एक याचिका, जो देश की वर्तमान खाद्य स्थिति के बारे में है, प्राप्त हुई है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिए अपर्याप्त परिवहन सुविधायें

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० एन० मिश्र, श्री ए० पी० सिन्हा तथा श्री भागवत झा आज़ाद से एक पूर्वसूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने रेलवे मंत्री का ध्यान उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं की ओर आकर्षित किया है।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जो यातायात उत्तर बिहार के लिये बड़ी लाइन द्वारा होता है उसे मुकामीघाट, भागलपुर तथा मनिहारी-सकरीगली घाट होकर छोटी-छोटी नौकाओं द्वारा गंगा पार करनी पड़ती है। वह बनारस के पास मनदुआदिह होकर एक लम्बे मार्ग से भी ले जाया जाता है। कितना यातायात नौकाओं द्वारा नदी के पार ले जाया सकता है, यह नदी की गति पर निर्भर है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि नौकाएं दिन भर में कितने चक्कर लगा सकती हैं। १९५३-५४ के अन्त में, नदी की स्थिति विगत कई वर्षों की स्थिति की अपेक्षा अति अधिक प्रतिकूल रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि तीन स्थानों से होकर बड़ी लाइन के २१५ डिब्बों से जितना यातायात प्रतिदिन नदी पार हो सकता था उससे २० प्रतिशत कम हुआ है।

रेलवे यातायात की कुल मात्रा में जो अनिवार्य कमी हुई वह सम्भवतः मनदुआदिह

[श्री अलगेशन]

होकर की गई अधिक परिवहन सुविधा से पूर्ण न हो सकी। इलाहाबाद में कुम्भ मेला के संबंध में छोटी लाइन पर बढ़े हुए यात्रियों के भारी यातायात के लिये व्यवस्था करने के कारण जनवरी-फरवरी में मनदुआदिह होकर भी आन-जाने को कम करना आवश्यक हो गया।

कुल यातायात में कमी होने का प्रभाव कोयला तथा सीमेंट पर भी स्वाभाविक रूप में पड़ा।

लगभग फरवरी १९५४ के मध्य में बिहार राज्य सरकार ने अपनी कठिनाइयां अभ्यावेदित की तथा २८ फरवरी १९५४ को उनके असैनिक सम्भरण मंत्री के साथ स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ कोयला तथा सीमेंट को ले जाने के लिये निम्न व्यवस्थायें की गई:—

कोयला : प्रतिदिन बड़ी लाइन के २४ डिब्बे तथा इसके अतिरिक्त, मनदुआदिह को ८ विशेष गाड़ियां।

सीमेंट : प्रतिदिन बड़ी लाइन को १६ डिब्बे तथा इसके अतिरिक्त २ विशेष गाड़िया मनिहारी-सकरीगली घाट होकर।

विहार सरकार ने मनदुआदिह में एकत्रित करने के लिए कोयले को विशष गाड़ियों द्वारा प्राप्त करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् यहँ कोयला यथाशीघ्र छोटी लाइन के स्टेशनों को भेजा जायेगा। विहार राज्य के मुख्य मंत्री ने १४ अप्रैल १९५४ को रेलवे बोर्ड, रेलों से संबंधित व्यक्तियों तथा कोयला आयुक्त के प्रतिनिधियों की एक बैठक बलाई थी। यह समझा जाता है कि मुख्य मंत्री ने मार्च के मास में किये गये विशेष प्रबन्धके परिणामस्वरूप कोयले व सीमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में हुई वृद्धि पर सन्तोष प्रकट किया था। विहार राज्य से गहरा सम्पर्क रखा जा रहा है ताकि इन मार्गों से अन्य राज्यों को प्राप्त सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उस राज्य की आवश्यकताओं को यथासम्भव सर्वोत्तम रूप में पूर्ण करने के लिये समय पर तथा उपयक्त कार्यवाही की जा सके।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया विचार किया जाय।"

नि:संदेह सदन को स्मरण होगा कि १९४८ में कारखाना संबंधी विधि को सूत्रबद्ध करने तथा उसमें संशोधन करने के लिये एक व्यापक विधि बनाई गई थी। १ अप्रैल १९४९ से नया कारखाना अधिनियम लागू हुआ। क्योंकि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या ८९ तथा ९० का अनुसमर्थन कर दिया है जिनमें रात में कारखानों में स्त्रियों तथा नवयुवकों के काम करने की मनाही की गई

हैं, इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि अधिनियम की धारा ६६, ७० तथा ७१ में संशोधन किया जाये ताकि उनके उपबन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कथित अभिसमयों के अनुकूल बनाया जा सके। अधिनियम के कुछ उपबन्धों को कार्यान्वित करने में जो क्रियात्मक कठिनाइयां हुईं उन्हें समाप्त करने की दृष्टि से कुछ अन्य संशोधनों का अधिनियम में निगमन करने के लिये भी इस अवसर से लाभ उठाया गया है। इन संशोधनों पर राज्य सरकारों तथा अखिल भारतीय मज़दूर तथा मालिक संगठनों के परामर्श से विचार किया गया है तथा उनके संबंध में बहुत से दलों में काफी सहमति है।

प्रस्तावित संशोधनों के प्रकार तथा क्षेत्र पर जाने के पूर्व, मैं भारत सरकार द्वारा की गई उस कार्यवाही के बारे में, जो उसने कारखाना अधिनियम के प्रशासन में सुधार करने के लिये की है, कुछ कहना चाहता हूं। मैं ऐसा विशेषकर इस दृष्टि से करना चाहता हूँ कि अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में ढील के संबंध इस सदन में तथा बाहर कई अवसरों पर टीका टिप्पणी की गई है। निःसन्देह सदन को विदित है कि 'कारखानों' समवर्ती विषय होने से, अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। विधियां तथा नियम उसी सीमा तक प्रभावी हो सकते हैं जहां तक कि उन्हें लागू किया जाये तथा लागू करने के लिये लागू करने की पर्याप्त व्यवस्था की आवश्यकता है। अतः १९४६ से कारखाना निरीक्षण कार्यालय को अधिकारयुक्त बनाने तथा चिकित्सा निरीक्षकों की नियुक्ति के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण होता रहा है। इस संबंध में मैं यह कह सकता हूँ कि विगत सात वर्षों में, भाग क के राज्यों में निरीक्षक कार्यालयों में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या ६० से बढ़कर लगभग दुगनी हो गई है। कुछ कुछ बड़े राज्यों में कारखानों में चिकित्सा निरीक्षक भी नियुक्त किये गये हैं।

कारखाना निरीक्षकों के पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूर्णतया स्वीकार किया गया है। निरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिये बहुत से विदेशी शिल्पिक सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुछ देशों में, जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं, प्रबन्ध किये गये हैं। इसके साथ ही साथ, निरीक्षकों के लाभ के लिये, विशेषकर हाल में नियुक्त किये गये निरीक्षकों के लिये कारखानों के प्रमुख परामर्शदाता का संगठन यदा-कदा प्रशिक्षण तथा प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है।

कारखानों के प्रमुख परामर्शदाता के केंद्रीय संगठन ने बहुत से उद्योगों में व्यावसायिक रोगों तथा अन्य स्वास्थ्य-संकटों के अनुपात के अध्ययन का भार भी ले लिया है। ये औद्योगिक स्वास्थ्य व स्वच्छता पर्यवेक्षण विभिन्न उद्योगों में किये जा रहे हैं। पूर्ण रूप में, देश में उद्योगों के प्रतिनिधि क्षेत्र को इसमें सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। निम्न संकटमय उद्योग पहिले से ही सम्मिलित हैं :—

(१) मोटरकार स्टोरेज बैटरी उद्योग
(२) डायक्रोमेंट उद्योग
(३) अभ्रक उद्योग
(४) रिफ्रैक्टरीज़

इन विस्तृत खोजों के परिणामस्वरूप, व्यावसायिक रोगों के अनुपात को कम करने के लिये तथा साधारण रूप में स्थितियों में सुधार करने के लिये सिफ़ारिश की गई हैं। वे जिन राज्य सरकारों आदि को हैं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं।

सामाजिक विधानों के पर्याप्त पालन के लिए सर्व पक्षों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक होता है। यह तो मानी हुई बात है कि सख्ती

[श्री वी० वी० गिरि]

की अपेक्षा स्वेच्छा से जो कार्य होता है उस के फल अधिक अच्छे होते हैं। इसी दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं। अर्थात् इन पारस्परिक समझौतों द्वारा कारखाना अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

गत कुछ दिनों से हम आशा करते आये हैं कि विकासक्षम उद्योगों के माननीय अंश के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली संस्था स्थापित की जायेगी। माननीय सदस्यों को यह जानने में रुचि होगी कि सरकार ने बम्बई में एक केन्द्रीय श्रम संस्था खोलने का निश्चय किया है। इस संस्था में औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण के विषय में अनुसन्धान तथा श्रमिक समस्याओं के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत (१) औद्योगिक सुरक्षितता, स्वास्थ्य तथा कल्याण से सम्बन्धित प्रदर्शनी; (२) औद्योगिक स्वच्छता की प्रयोगशाला; (३) प्रशिक्षण केन्द्र, तथा (४) पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र का प्रबन्ध किया जायेगा।

अब मैं इस विधेयक में कारखाना अधिनियम के जो संशोधन प्रस्तावित हैं उन में से महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में कुछ कहूंगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस अधिनियम की धारा ६६, ७० तथा ७१ को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय ८९ तथा ९० के अनुकूल बनाने के लिए उन में कुछ संशोधन करना आवश्यक है। अभिसमय ८९ उद्योगों में काम करने वाली स्त्रियों के बारे में है। उस में कहा गया है कि किसी सरकारी या गैर सरकारी उद्योग में स्त्रियों से रात में काम नहीं लिया जायेगा। इस अभिसमय के अनुसार रात लगातार ११ घंटों की होनी चाहिये और उस में १० बजे म० प० से ७ बजे म० पू० के बीच का कम से कम ७ घंटों का समय सम्मिलित होना चाहिये। हमारे विद्यमान अधिनियम के अनुसार ७ बजे म० प० से ६ बजे म० पू० तक स्त्रियों से काम नहीं लिया जा सकता। राज्य सरकारें किसी प्रकार के कारखानों के बारे में इस में कुछ हेरफेर कर सकती हैं किन्तु किसी हालत में वे १० बजे म० प० से ५ बजे म० पू० तक स्त्रियों से काम लेने की अनुमति नहीं दे सकती। पाली बदलते समय इस ११ घंटे की मर्यादा का उल्लंघन होने की संभावना है। उदाहरणार्थ, २ बजे म० प० से १० बजे म० प० तक की पाली दूसरे दिन से ६ बजे म० पू० से २ बजे म० प० तक के लिए बदल दी जाती है। तब तो, इन दो पालियों के बीच केवल ८ घंटे का समय गुजरता है। इन संभावनाओं का सामना करने के लिए यह उपबन्ध आवश्यक है कि पाली का परिवर्तन किसी छुट्टी के दिन के बाद ही किया जाना चाहिये। इसीलिए अधिनियम की धारा ६६ में संशोधन किया जा रहा है।

अभिसमय ९० में अल्पवयस्क व्यक्तियों से रात में काम लेने पर रोक लगाया गया है। इस अभिसमय को कार्यान्वित करने के लिए धारा ७० तथा ७१ में संशोधन आवश्यक है।

सवेतन अवकाश से संबद्ध अध्याय ८ का पुनरीक्षण करने वाला संशोधन भी महत्वपूर्ण है। इस का हेतु सम्बन्धित उपबन्धों को सरल बना कर इस विषय में मालिक तथा मजदूरों में बारंबार उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर करने का है। विद्यमान उपबन्धों के अनुसार सवेतन अवकाश का अधिकार पाने के लिए श्रमिकों को १२ महीनों तक लगातार नौकरी करनी पड़ती है। इस लगातार नौकरी' की परिभाषा पर ही निरन्तर मतभेद होते रहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय में भी यह एक साल की शर्त रखी गई है। श्रमिकों को विश्रांति द्वारा पुनरुत्साहित करने के लिए सवेतन अवकाश दिया जाता है। साथ ही साथ

यह भी देखना आवश्यक है कि इन रियायतों के परिणामस्वरूप श्रमिकों को अधिक नियमित बनने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिये। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि सवेतन अवकाश का अधिकार प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को एक पत्री वर्ष में कम से कम २४० दिन काम पर आना चाहिए। जिन श्रमिकों की किसी पत्री वर्ष की अवधि में मालिक द्वारा काम से हटा दिया जाता है, उन पर यह २४० दिन की शर्त लागू नहीं होगी। यह भी उपबन्ध किया गया है कि इस सवेतन अवकाश की अवधि में यदि कोई छुट्टी आ जाती है तो उसे अवकाश की अवधि में नहीं गिना जायेगा। पत्री वर्ष के आरम्भ के बाद काम पर लगाये जाने वाले श्रमिकों को अनुपाती अवकाश देने का उपबन्ध भी किया गया है। अर्जित अवकाश का संचय करने की मर्यादा भी बढ़ा दी गई है क्योंकि अधिकतर यह देखा गया है कि मज़दूर दीर्घ काल तक अवकाश लेना पसन्द करते हैं। सवेतन अवकाश के लिए मालिकों से जो पैसे लेने होते हैं वे मजूरी भुगतान अधिनियम में निर्देशित मजूरी की तरह वसूल किये जा सकेंगे।

अन्य संशोधन गौण रूप के हैं और अधिनियम के उपबन्धों को व्यवहृत करने में जो कठिनाइयां खड़ी होती हैं उन्हें दूर करने के लिये, वे गये हैं। मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि प्रस्तुत विधेयक में उपबन्धित संशोधनों के अलावा कुछ अन्य संशोधनों के प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं और सम्बन्धित हितों, अर्थात् मालिकों एवं मज़दूरों के संगठनों आदि, से विचार विनिमय करने के बाद यथासमय वे सभा के सामने एक स्वतंत्र विधेयक के रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कारखाना अधिनियम १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये।"

मूल प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक संशोधन रखा गया है। क्या श्री गुरुपादस्वामी उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक को श्री खन्डूभाई कासनजी देसाई, श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल, डा० सुभग सिंह, श्री वी० वी० गिरि, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्रीमती बी० खोंगमेन, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री सी० आर० बासप्पा, सरदार हुक्म सिंह, श्री चौथराम परतावराव गिडवानी, ठाकुर युगल किशोर सिंह, श्री साधनचन्द्र गुप्त तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और से १५ मई, १९५४ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १५ मई, १९५४ तक दे दे। यह एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री पुन्नूस (अल्लेप्पी) : जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है इस विधेयक द्वारा कुछ संशोधन किये जा रहे हैं जिन में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुछ कम महत्वपूर्ण हैं। निस्सन्देह, इन सब का प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

माननीय मंत्री ने अभी कहा कि यह विधेयक राज्य सरकारों तथा अखिल भारतीय मज़दूर संघों की राय ले कर बनाया गया है

[श्री पुन्नूस]

लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि राज्य सरकारों से क्या राय ली गई है, क्योंकि किसी भी राज्य ने केन्द्र को इस बात की सूचना नहीं दी है कि उस के राज्य में मज़दूरों की क्या हालत है। कम से कम मैं तो सदन के पुस्तकालय में कोई सूचना इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं कर सका हूं। १९४८ के पश्चात् से तो बिल्कुल भी सूचना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि राज्य सरकारों को ही श्रम कानूनों को कार्यान्वित करना पड़ता है, इसलिये, राज्यों से सूचना अवश्य प्राप्त होनी चाहिये।

सरकार अपने आप कोई कानून नहीं बनाती। जब वह मजबूर हो जाती है और समझती है कि परिस्थिति बिगड़ती जा रही है तब ही कानून बनाने का प्रयत्न करती है। जब मालिक, मज़दूर या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उस पर जोर डालता है तब वह कानून बनाने के लिये तैयार होती है। वह अपनी ओर से कुछ नहीं करती। होना तो यह चाहिये कि वह वर्तमान कानूनों का अध्ययन करे तथा देखे कि किस किस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार बिना किसी के कहने पर, कानून बनाये। १९४८ के पश्चात् से, जब कि कारखाना अधिनियम बनाया गया था, कोई भी कानून इस दिशा में नहीं बना है। सरकार को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे।

वर्तमान संशोधी विधेयक का सम्बन्ध मुख्यतः स्त्रियों और बच्चों को नौकर रखने, वेतन के साथ छुट्टी पर जाने आदि, जैसी अनेक व्यावहारिक बातों से है। देखा जाये तो अनेक राज्यों में श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जाता है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य को ही ले लीजिये। वहां पर कारखाना निरीक्षकों की संख्या बहुत ही कम है। अतः वे सारे कारखानों का निरीक्षण भी नहीं कर पाते हैं। यदि करते भी हैं तो केवल कारखानों के मालिकों की बातें सुन कर चल देते हैं। मज़दूरों की शिकायतें सुनते ही नहीं हैं। वे कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिरकार, मज़दूर क्या चाहते हैं।

जहां तक अधिक समय तक काम करने के लिए मज़दूरों को वेतन देने का सवाल है, उस को स्वयं सरकार ही नहीं दे रही है। मज़दूरों को नैमित्तिक रूप से रखा जाता है। उन्हें नौकरी करते हुए छः छः साल हो जाते हैं, लेकिन नैमित्तिक होने के कारण उन्हें अधिक समय तक काम करने का भत्ता नहीं मिलता। त्रावणकोर-कोचीन राज्य के यातायात उद्योग में ही ऐसा हो रहा है जो कि एक सरकारी उद्योग है। और तो और सरकार ने उन मज़दूर-संघों को भी स्वीकार नहीं किया है जिन को मज़दूरों का वास्तविक समर्थन प्राप्त है। उस राज्य के यातायात संचालक ने उस उद्योग के एक मात्र संघ को मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी हाल तक इस मज़दूर-संघ को मान्यता प्राप्त थी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है।

रेलवे रनिंग शेड के मज़दूरों पर कारखाना अधिनियम लागू क्यों नहीं होता? पहले तो यह आश्वासन दिया गया था कि उन पर भी लागू किया जायेगा लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है।

जहां तक सवेतन छुट्टी लेने का सवाल है, अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि जो मज़दूर कम से कम २४० दिन काम कर चुका हो उसी को यह सुविधा मिल सकती है। जब

सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों पर इस प्रकार की कोई रोक नहीं है तो कारखानों में काम करने वालों पर क्यों लगाई जा रही है। लेकिन इस शर्त के लगाने का भी कोई लाभ न होगा क्योंकि मालाबार तट पर अनेक कारखानों में मज़दूरों को एक साथ चार या पांच दिन से अधिक छुट्टी नहीं दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि अखिल-भारतीय मजदूर संघ संस्थाओं से इस के बारे में राय ले ली गई है। मुझे मालूम है कि अखिल-भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने ९० दिनों की सिफारिश की थी। मैं नहीं जानता कि इसे स्वीकार करने में क्या कठिनाई है। श्रम सम्बन्ध विधेयक में भी ९० दिनों की व्यवस्था की गई थी लेकिन अब इस को बढ़ा कर २४० दिन क्यों कर दिया गया है?

धारा ६४ में संशोधन कर के विश्राम की व्यवस्था को भी हटाया जा रहा है। मैं पूछता हूं ऐसा करने की क्या आवश्यकता है?

मजूरी का हिसाब लगाने में प्रामाणिक परिवार को ध्यान में रखा जाता है। सरकार के विचार में मज़दूर का प्रामाणिक परिवार उस की पत्नी और १४ वर्ष से नीचे की आयु वाले दो बालक होने चाहियें। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकार इन आंकड़ों पर किस प्रकार पहुंची है। वास्तव में, मज़दूर का परिवार इस से कहीं बड़ा होता है। अतएव, मेरा विचार है कि 'प्रामाणिक परिवार' की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिये।

अन्त में, मेरा फिर यही निवेदन है कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधेयक बनाया जाये और उसे भली भांति कार्यान्वित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य अपने भाषण को १५ मिनट तक सीमित रखें। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें २० मिनट दिये जायेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सरकार की श्रम सम्बन्धी नीति नितान्त रूप से असंतोष-जनक है। फ़ैक्टरी अधिनियम हमारे देश के लिए कोई नया अधिनियम नहीं है। वर्तमान फ़ैक्टरी अधिनियम कई फ़ैक्टरी अधिनियमों के बाद बना है। यह सन् १९४८ में लागू हुआ था। उस समय हुई चर्चा में बहुत से सदस्यों ने कहा था कि इस से भारतीय श्रम की उचित मांगें पूरी नहीं होती हैं। सदस्यों का यह भी कहना था कि इस में श्रम की सभी श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है। पिछले साढ़े चार वर्षों से इस अधिनियम के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। माननीय मंत्री से यह आशा की जाती थी कि वह कोई संतोष-जनक संशोधन प्रस्तुत करेंगे, परन्तु हमारी यह आशा निराधार सिद्ध हुई है। माननीय मंत्री ने अभी तक कोई व्यापक संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

मेरी दूसरी शिकायत यह है कि यह एक प्रतिगामी विधेयक है। इस के एक या दो कारण हैं; वह यह हैं कि सन् १९३४ के अधिनियम में रेलवे के रनिंग शेडों को फ़ैक्टरी की परिभाषा में शामिल किया गया था, परन्तु १९४८ के अधिनियम में इसे 'फ़ैक्टरी' की परिभाषा में नहीं लिया गया है। हमें आशा थी कि साढ़े चार वर्ष के बाद मंत्री महोदय इस श्रेणी को 'फ़ैक्टरी' शब्द की परिभाषा में ले आयेंगे।

जहां तक इस विधेयक के उपबन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के अभिसमयों के तदनुरूप बनाने के लिए कुछ संशोधनों के प्रस्तुत किये जाने का सम्बन्ध है, मेरा इस उद्देश्य से कोई विवाद नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाप के पक्ष में हैं। परन्तु इस से अधिक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने यह स्वयं स्वीकार किया है कि इस अधिनियम का

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

प्रशासन राज्य सरकारों के हाथों में होने से केन्द्रीय सरकार इस के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में असमर्थ है। मैं अनुभव करता हूं कि केन्द्र को श्रम सम्बन्धी मामलों में अधिकाधिक पथप्रदर्शन करना चाहिये। इस से देश भर की फ़ैक्टरियों आदि में एक जैसी अवस्थायें स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में द्विपक्षीय समझौतों का समर्थन किया है। ऐसे समझौतों के सम्बन्ध में हमारा यह अनुभव है कि मालिक के पक्ष सौदेबाजी में सदैव भारी रहता है तथा सरकार सदैव मालिक की सहायता के लिए तैयार रहती है। यदि इन समझौतों से श्रम की उचित मांगें पूरी हो जायें तो मुझे इन पर कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से आज काम हो रहा है, उसे दृष्टि में रखते हुए यह जान पड़ता है कि विभिन्न राज्यों के श्रम विभाग श्रम के लिए नहीं बल्कि मालिकों के लिए काम कर रहे हैं। वे श्रम की वास्तविक मांगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। उन की नीति यह जान पड़ती है कि श्रम तथा मालिकों के बीच किसी न किसी प्रकार का समझौता करा दिया जाय जिस से कि कोई संकट उपस्थित न हो। श्रम विभाग श्रम तथा मालिकों के बीच समझौता कराने में सदैव मालिकों का पक्ष लेता है जिस के कारण मेरा यह कहना है कि यद्यपि इस विधेयक में श्रम के लिए कुछ लाभों की व्यवस्था की गई है तो भी श्रम को वस्तुतः वे लाभ दिये नहीं जाते हैं। एक उदाहरण यह है कि मालिक लोग श्रमिकों को तीन चार मास तक सेवायुक्त रखने के बाद नौकरी से निकाल देते हैं तथा बाद में फिर उन्हीं श्रमिकों को सेवायुक्त कर लेते हैं। ऐसा करने में उन का उद्देश्य फ़ैक्टरी अधिनियमों से बचना होता है। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ उपाय करने चाहियें।

राज्यों के श्रम विभाग उचित प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। इसी कारण जो प्रतिवेदन वे केन्द्रीय सरकार को भेजते हैं, वे पर्याप्त नहीं होते हैं। सरकार विभिन्न फ़ैक्टरियों में स्वास्थ्य आदि सम्बन्धी बातों का ध्यान रखने के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है। परन्तु यदि आप उपलब्ध आंकड़ों को देखें तो आप निरीक्षण का नितान्त अभाव पायेंगे। बिना निरीक्षण के आप यह कैसे कह सकते हैं कि मालिक अधिनियम के उपबन्धों का पालन करेंगे ? यद्यपि संविधि-पुस्तक में इसे रखा गया है फिर भी फ़ैक्टरी अधिनियम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इस से केवल जनता को धोखा ही दिया जा सकता है। यदि ये अधिनियम देश में संतोषजनक ढंग से लागू नहीं हो सके हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि श्रम मंत्रालय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फ़ैक्टरी अधिनियम में दिये गये लाभ पर्याप्त नहीं हैं। मंत्री महोदय को चाहिये कि श्रम के लिए वह अधिक सारभूत लाभों की व्यवस्था करें। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को दस दिन काम के बाद तथा प्रत्येक बालक को आठ दिन काम के बाद एक दिन विश्राम के लिए दिया जाय। मेरा यह भी सुझाव है कि ४८ घंटे प्रति सप्ताह के काम को कम कर के ४४ घंटे कर दिया जाय।

माननीय मंत्री को चाहिये कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह विधेयक के दूसरे उपबन्धों को भी संशोधित करें ताकि श्रम को वास्तविक लाभ दिये जा सकें। ऐसे अपेक्षित संशोधनों की सूची तैयार करने के लिए एक प्रवर समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो आगामी मास की १५ तारीख़ तक अपना प्रतिवेदन भेज दे जिस से कि हम इस विधेयक को चालू सत्र में ही पारित कर सकें।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : में अपने भाषण को इस विधेयक के कुछ खण्डों तक ही सीमित रखूंगा। हम जानतें हैं कि समवर्ती विषय होने से इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों के हाथ में है। राज्य सरकारें धन अथवा रुचि के अभाव के कारण इस विधान की कार्यान्विति में सुस्ती से काम लेती हैं। एक उदाहरण यह है कि यद्यपि फ़ैक्टरी अधिनियम में फ़ैक्टरियों में दुर्घटनाओं को होने से रोकने की व्यवस्था है तो भी हमें १९५१-५२ के बाद के दुर्घटनाओं सम्बन्धी आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। राज्य सरकारें केन्द्र को इन आंकड़ों को भेजने में बहुत विलम्ब कर देती हैं जिस के कारण हम माननीय मंत्री के संशोधनों की आवश्यकता के विषय में या उन के उचित प्रकार से क्रियान्वित किये जाने के बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं।

सर्वप्रथम मेरी यह दृढ़ भावना है कि फ़ैक्टरी अधिनियम को अच्छी प्रकार से लागू किया गया है। साथ ही इसे अधिकतम आधुनिक प्रकार का बनाने के, विशेषत: ब्रिटेन के फ़ैक्टरी अधिनियम के समान बनाने के सदैव प्रयत्न किये गये हैं। ब्रिटेन ऐसा देश है जो फ़ैक्टरी प्रबन्ध में सब से उन्नत है।

अब यदि व्यवहारिक रूप से इस के परिणाम संतोषजनक नहीं हैं तो दोष हमारा अपना है। यदि फैक्टरी अधिनियम को अच्छी तरह लागू नहीं किया जाता है तो इस का अर्थ यह है कि मज़दूर संघों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे अधिकारियों का ध्यान इन त्रुटियों की ओर दिला सकें। मेरा अपना अनुभव यह है कि राज्यों के निरीक्षण विभाग इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में बिल्कुल सजग हैं। शर्त यह है कि स्वयं श्रम इन त्रुटियों को अधिकारियों के ध्यान में लाये।

जैसा कि मैं ने कहा श्रम के सम्बन्ध में हम ब्रिटिश अधिनियम तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के अभिसमय का अनुसरण कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि श्री गुरुपादस्वामी ने अपने आंकड़े कहां से एकत्र किये हैं। मेरी सूचना यह है कि रनिंग शेडों में काम के घंटों के सम्बन्ध में फ़ैक्टरी अधिनियम केवल इस अन्तर के साथ लागू होता है कि जहां और फ़ैक्टरियों में फ़ालतू समय के काम के लिए भुगतान दुगुना किया जाता है, रेलवे में यह डेढ़ गुना किया जाता है।

सरकार को कुछेक संशोधनों की क्रियान्विति के बारे में बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा उन के दुरुपयोग किये जाने की बहुत सम्भावना रहेगी। मेरा निर्देश विशेषत: खण्ड ३ की ओर है। इस के अन्तर्गत कोई मालिक अपनी फ़ैक्टरी को छोटे एककों में पृथक कर सकता है अथवा उन्हें मिला सकता है आप इस के दुरुपयोग का उदाहरण चाहें तो बीड़ी निर्माण का मामला लें। वे लोग काम का इस प्रकार से बंटवारा करते हैं जिस से यह जान पड़े कि कुछ काम बाहर के एजेन्टों के द्वारा कराया जाता है। अब इस से ऐसी फ़ैक्टरियां फ़ैक्टरी अधिनियम से बच जाती हैं। ये फ़ैक्टरियां प्राय: बहुत गन्दे स्थानों में होती हैं। यह दुरुपयोग का एक उदाहरण है। मद्रास तथा आंध्र राज्य से मुझे इस अभिप्राय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं। अत: मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि सरकार खण्ड ३ में अर्थात् अधिनियम की धारा ४ में समुचित संशोधन करे जिस से कि किसी मामले में भी फ़ैक्टरी अधिनियम से बचा न जा सके।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि खण्ड ६ में किसी संशोधन की आवश्यकता है। विधि में पहले से यह व्यवस्था है कि बालकों तथा स्त्रियों को चलने वाली तथा संग्रहण मशीनों वाले उद्योग में नियक्त न किया जाय। अब माननीय

[श्री वेंकटारमन्]

मंत्री ऐसा संशोधन ला रहे हैं जिस में इस की अनुमति दी जा रही है। इस से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। श्रीमान्, यदि सरकार विद्यमान विधि में कोई परिवर्तन करना चाहती है तो इस प्रकार से करे जिस से इस बात पर प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व मालिक को हो कि इन स्थानों में नियुक्ति करने से किसी के चोट लगने की सम्भावना नहीं थी। इस खण्ड का आधार यह है कि चलती मशीनों में दुर्घटनायें होने की बहुत सम्भावना होती है। मुझे इस धारा की शब्द रचना से प्रसन्नता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाते समय सरकार इन का इस प्रकार से प्रयोग करेगी कि इन फ़ैक्टरियों में कम से कम बालकों तथा स्त्रियों को नियुक्त किया जाय तथा उन की सुरक्षा के पूरे प्रबन्ध हों।

अब एक और प्रश्न अतिरिक्त समय का है मालिक लोग पाली के बारे में बहुत शोर मचाते हैं। उन का कहना है कि किसी व्यक्ति से नौ घंटे से अधिक काम लेने की अनुमति न होने से वे पाली नहीं बदल सकते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार यह घोषणा करे कि पाली बदलने की अवस्था में काम के घंटों में आधे घंटे से अधिक वृद्धि नहीं की जायगी। मालिकों को ग्यारह घंटे काम लेने की अनुमति इस धारा के प्रस्तावित संशोधनों में है।

यह निश्चय ही श्रमिकों के हित में नहीं है।

अन्तरवेला तथा विश्राम के सम्बन्ध में सरकार ने जो संशोधन रखा है उसका भी दुरुपयोग होने की संभावना है। वर्तमान विधि के अनुसार पांच घण्टे के काम के पश्चात् विश्राम-काल होना चाहिये, परन्तु इस संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि विश्रामकाल से पूर्व काम की अवधि छै घंटे बढ़ा दी जाये।

सरकार ने खण्डों की टिप्पणी में बताया है कि मुद्रणालयों तथा समाचारपत्रों को, विशेष रूप से छै घंटे की रात की पाली को सम्मिलित करने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उस अवस्था में विशष रूप से यह लिखा जा सकता है कि जिन कारखानों में लगातार २४ घंटे काम होता हो उन में छै घंटे तक काम घी छूट दी जा सकती है। इस समय जो संशोधन रखा गया है उस के अनुसार तो कोई भी नियोजक बिना विश्राम के छै घंटे तक काम कराने की सरकार से अनुमति मांग सकता है।

मैं आप को एक उदाहरण देता हूं। आजकल बहुत से कारखानों में सप्ताह के अन्य दिनों में ८½ घंटे प्रति दिन और शनिवार को ५ घंटे कार्य होता है। इस संशोधन के हो जाने पर नियोजक तथा प्रबन्धक शनिवार को भी पांच घंटे के स्थान पर छै घंटे तक कार्य करने के लिये सरकार से अनुमति मांग सकते हैं। इस विषय में वर्तमान विधि संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस विषय में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि केवल २४ घंटे कार्य करने वाले कारखानों में ही तीसरी पाली में छै घंटे तक कार्य करने की छूट दी जाये।

अब मैं उन मजूरों की, जिन्हें काम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है, मजूरी निश्चित करने के प्रश्न को तथा जिन व्यक्तियों को रियायती दर पर अनाज दिया जाता है उन के भी प्रश्न को लेता हूं। मद्रास की मज़दूर श्रेणी के आय-व्ययक के सम्बन्ध में श्री आइयन्तैय्य द्वारा की गई जांच के अनुसार मज़दूर श्रेणी के प्रत्येक परिवार में ४·६ व्यक्ति थे और उन के उपभोग एकक ३·७५ से ४ तक थे, परन्तु वर्तमान संशोधन में सरकार

एक वास्तविक परिवार को नहीं अपितु एक आदर्श परिवार को ले रही है। इस से श्रमिकों के वर्तमान पारिश्रमिक के भी उन से छिन जाने की सम्भावना है। इस समय श्रमिकों का पारिश्रमिक उन के भूतकाल के क्रय के आधार पर निश्चित किया जाता है। अतः उन के परिवार के अनुसार उन्हें प्रतिकर दिये जाने के विशेषाधिकार को उन से छीनना ठीक नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि व्यापक विधेयक बनाते समय इस पर विचार किया जाये।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : इस विषय में वह हमारा संशोधन मान सकते हैं।

श्री वेंकटारमन् : मैं ने स्वयं उस का समर्थन किया होता, किन्तु उस में एक बड़ी भारी कठिनाई है। सब श्रमिकों के पांच सदस्य नहीं होते हैं। सामान्यतया १८ और २५ वर्ष के बीच की आयु के मजदूरों के औसत परिवार में दो वयस्क तथा एक बच्चा होता है। यदि आप सब को पांच सदस्यों की सुविधा देने लगेंगे तो इस से कठिनाई होगी।

एक माननीय सदस्य : इसे अधिकतम संख्या रख दीजिये।

श्री वेंकटारमन् : यदि आप पांच की संख्या को अधिकतम निश्चित कर देंगे तो अधिक बच्चों वालों को रियायत प्राप्त नहीं हो सकेगी जो कि अब उन्हें मिल रही है। इस का हल श्रमिकों तथा पूंजीपतियों के बीच बातचीत से ही निकल सकता है। यदि इस विधि के अन्तर्गत उसे एक आदर्श परिवार के अनुसार प्रतिकर मिलेगा, तो सम्भव है कि उस की मजूरी घट जाये और मुझे पूरा निश्चय है कि सरकार का यह उद्देश्य नहीं है।

मैं अवकाश सम्बन्धी उपबन्ध का स्वागत करता हूं। वर्तमान विधि से श्रमिकों को बहुत कठिनाई होती है। २४० दिन की लगातार नौकरी में अब उन दिनों को नहीं गिना जायेगा जिस के लिये न तो नियोजक उत्तरदायी है और न ही कर्मचारी। मेरे विचार में कुछ नियोजकों की ३०० दिन की मांग और हमारी २०० दिन की मांग में ये बीच के २४० दिन ठीक हैं। इस से श्रमिकों को बहुत लाभ पहुंचने की सम्भावना है। और मुझे पूर्ण निश्चय है कि इस से अर्जित अवकाश सम्बन्धी सब झगड़े निबट जायेंगे।

मेरे विचार में सम्पूर्ण रूप से यह विधेयक आवश्यक और समयोचित है और इसे पारित कर देना चाहिये। सरकार को केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस का दुरुपयोग न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गुरुपाद-स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि इस विधेयक को श्री खण्डूभाई कासनजी देसाई, श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल, डा० राम सुभग सिंह, श्री वी० वी० गिरि, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्रीमती खोंगमन, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री सी० आर० बासप्पा, सरदार हुक्म सिंह, श्री चोइथराम परताबराय गिडवानी, ठाकुर युगल किशोर सिंह, श्री साधन चन्द्र गुप्त तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और इसे १५ मई, १९५४ तक या इस से पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुप्पुर): विरोधी पक्ष के किसी सदस्य ने कहा था कि भारत सरकार की श्रम नीति असन्तोषजनक है। मैं ने तो समझा था कि श्री गिरि का यहां होना ही श्रमिकों के लिये सब से बड़ी प्रत्याभूति

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

है, क्योंकि उन्हें श्रमिक नेताओं से भी अधिक श्रमिकों का ध्यान रहता है, और हम ने यह देखा है कि उन्होंने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये थोड़े से ही समय में बहुत से विधेयक प्रस्तुत कर दिये हैं ।

विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अब प्रबन्धकों तथा पूंजीपतियों को श्रमिकों को उद्योग में अपना भागीदार समझना चाहिये और उन्हें न केवल उचित मजूरी ही देनी चाहिये अपितु उन का सम्मान भी करना चाहिये । जब तक पूं ने यह रुख नहीं अपनायेंगे तब तक श्रमिको झगड़े बने ही रहेंगे ।

इस के साथ ही श्रमिकों को भी अपने सामने अधिक से अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखना चाहिये और 'धीरे चलो' की नीति को नहीं अपनाना चाहिये ।

मैं उन्हें शिक्षा सम्बन्धी, चिकित्सा सम्बन्धी तथा सभी प्रकार की सुविधायें दिये जाने के पक्ष में हूं, किन्तु एक प्रत्याभूति चाहता हूं कि उत्पादन बढ़े । क्योंकि उत्पादन बढ़ने पर ही उन्हें पैसा भी अधिक मिल सकता है और सब सुविधायें भी मिल सकती हैं । परन्तु जब कुछ श्रमिक नेता यह समझ कर कि धीरे कार्य करने से नियोजकों को हानि पहुंचेगी धीरे कार्य करते हैं......

श्री नम्बियार : अधिक उत्पादन के लिये वैसी परिस्थितियां पैदा कीजिये तो अधिक उत्पादन होगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : बहुत से ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां उत्पादन अच्छा-भला हो रहा था, किन्तु श्रमिक नेताओं के बीच में आ पड़ने से उत्पादन कम हो गया । बर्नपुर का उदाहरण सब के सामने है, जहां उत्पादन ३५० टन से घट कर १०० टन रह गया था और बाद में उन्हीं श्रमिकों तथा उन्हीं श्रम की शर्तों से बढ़ कर ६०० टन तक पहुंच गया था ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : श्री नम्बियार जैसे श्रमिक नेताओं के ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि देश की उन्नति करनी है तो पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में सहयोग की भावना का होना नितान्त आवश्यक है । श्रम नेताओं तथा श्रमिकों को देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिये ।

इस विधेयक में सवेतन वार्षिक अवकाश सम्बन्धी खण्ड २० सब से अधिक महत्वपूर्ण है । इस खण्ड में २४० दिन की अवधि रखी गई है । इस के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सचिवालय, स्कूलों तथा कालिजों अर्थात् प्रत्येक विभाग में कार्य के दिनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और छुट्टियां कम होनी चाहियें । मैं यह जानना चाहूंगा कि यह २४० दिन की संख्या कैसे निकाली गई है । क्योंकि यदि ३६५ में से ५२ रविवारों, २० भिन्न भिन्न सम्प्रदायों की छुट्टियों और १५ बीमारी इत्यादि की छुट्टियों को निकाल भी दिया जाये तो भी २७८ दिन शेष रह जाते हैं ।

मैं अध्याय ८ में धारा ७९ की (जैसी कि अधिनियमित होने पर होगी) उपधारा (१०) के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । जब हम श्रमिकों को सब सुविधायें देना चाहते हैं तो हमें उस संस्था के हित का भी ध्यान रखना चाहिये । आकस्मिक अवकाश संस्था के कार्य की सुविधा को ध्यान में रख कर दिया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि इस खण्ड पर चर्चा के समय इस विषय पर और अधिक विचार किया जायेगा ।

हमें श्रमिकों को एक ही कारखाने में कई वर्ष तक कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये जिस से कि वे भी इस में गर्व अनुभव कर सकें और बाद में उस कारखाने के स्वामित्व में

कारखाने के स्वामी के भागीदार बन सकें और उस के लाभ में हिस्सा बंटा सकें । इस से उन में न केवल उस कारखाने के प्रति एक स्नेह की भावना उत्पन्न होगी अपितु वे कारखाने को अपना समझने लगेंगे । मेरे विचार में खण्ड ११ सम्भवतः इस प्रवृत्ति के विरुद्ध है अर्थात् कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ना चाहे तो नौकरी छोड़ देने पर भी उसे यह भत्ता लेने का अधिकार होगा । मेरे विचार में जो लोग एक कारखाने से नौकरी छोड़ कर दूसरे कारखाने में नौकरी करना चाहें हमें उन पर रोक लगा देनी चाहिये । मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर अच्छी प्रकार विचार कर के कोई ऐसा ढंग निकाले जिस से श्रमिकों को एक ही कारखाने में कई वर्ष तक कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिले क्योंकि इस से उन में कार्य के प्रति प्रेम और स्थिरता बढ़ेगी ।

खण्ड ११ में श्रमिकों के लगातार छै घंटे तक कार्य करने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । मुझे यह मालूम नहीं कि निरन्तर छै घंटे के काम से थकावट हो जाती है या नहीं किन्तु कई बार यह बहुत खतरनाक होता है । अतः एक सामान्य उपबन्ध बनाने की अपेक्षा सरकार को यह पता लगाना चाहिये कि किन किन उद्योगों में बिना थकावट के छै घंटे तक निरन्तर कार्य किया जा सकता है और उन में छै घंटे तक कार्य करने की व्यवस्था कर देनी चाहिये । मेरी यह राय है कि इस प्रकार का सामान्य उपबन्ध सब उद्योगों पर लागू नहीं होना चाहिये ।

अन्त में मैं पूंजीपतियों तथा श्रमिकों से यह अनुरोध करूंगा कि वे एक दूसरे के प्रति उचित रुख अपनायें जिस से कि उत्पादन बढ़े और दोनों ही का कल्याण हो ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर): यह विधेयक श्रमिकों के हितों के लिये बहुत बुरा है। इस में केवल मजूरी सहित वार्षिक अवकाश सम्बन्धी उपबन्ध कुछ काम का है ।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में पहला उद्देश्य संविधि के उपबन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अभिसमयों के अनुरूप बनाना बताया गया है । इस सम्बन्ध में स्त्रियों, बच्चों और युवकों को रात्रि में कार्य करने से रोकने के बारे में भारतीय अधिनियम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अभिसमयों से कहीं आगे था और उन्हें यह अधिकार पहिले ही मिला हुआ था, बल्कि इस विधेयक द्वारा उनके इस अधिकार को कुछ हद तक छीना जा रहा है ।

इस के बाद मैं विधेयक के उन उपबन्धों के बारे में जो कि अधिनियम में अनुभव की गई कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये बनाये गये हैं यह पूछना चाहता हूं कि "किस ने उन व्यवहारिक कठिनाइयों को अनुभव किया है ?" मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक के खण्ड संख्या ३, ६, ६, १०, ११, १२ तथा १५ से, जो मूल अधिनियम की धारा ४, २२, ४५, ५४, ५५, ५८ तथा ६४ में संशोधन करना चाहते हैं, न केवल श्रमिकों के पहले अधिकार छिन जायेंगे, अपितु बेकारी और छंटनी के द्वार भी खुल जायेंगे । वास्तव में हमें इस विधेयक पर वर्तमान आर्थिक मंदी तथा देश में बढ़ती हुई बेकारी को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये ।

मालिक मशीनी अभिनवीकरण के द्वारा मज़दूरों को हटाना चाहते हैं । इस विधेयक के द्वारा, अधिक समय तक काम करने और छोटी आयु के व्यक्तियों को विद्युत सम्बन्धी काम पर लगाने का उपबन्ध किये जाने से वयस्क मज़दूरों की संख्या कम कर दी जायेगी । अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस बेकारी को रोकने के लिये इस पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करें ।

[श्री टी० के० चौधरी]

धारा ३ यह घोषित करने की शक्ति देती है कि दो या अधिक कारखाने एक ही कारखाना समझे जायें। इस प्रकार पाली बदलने और पुन: प्रसारण पद्धति के लागू किये जाने से मजदूरों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से यह आपत्तिजनक प्रस्ताव है।

प्रस्तावित धारा ६ के अधीन स्त्रियों और बच्चों को, गतिशील संयंत्रों में काम करने की अनुमति दिये जाने के परिणाम स्वरूप कुशल कारीगर, जो वहां पहले से काम कर रहे हैं, वहां से हटा दिये जायेंगे। यह भी एक प्रतिक्रियावादी उपबन्ध है। इस प्रश्न पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

श्री गिरि ने यह कहा है कि यह अधिनियम अखिल भारतीय केन्द्रीय मजदूर संघों के परामर्श से बनाया गया है, किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि अखिल भारतीय मजदूर संघों ने किन विशेष उपबन्धों का अनुमोदन किया है। प्रस्तावित खण्ड १०, ११ तथा १२ पालियों के घंटों, विश्राम के घंटों इत्यादि के सम्बन्ध में है। इस के विषय में मैं श्री वेंकटरामन के विचारों का समर्थन करता हूं। धारा ९ में संशोधन करने का यह अभिप्राय है कि प्राथमिक चिकित्सा १५० व्यक्तियों के लिये "एक ही समय" करने का उपबन्ध किया जाये। इस का अर्थ यह भी है कि यदि संख्या १५० से कम हो तो इस उपकरण की व्यवस्था न की जाये।

श्री वेंकटारमन्: यदि किसी भी समय १५० व्यक्ति नौकर रखे जायें, तो प्रबन्ध अवश्यमेव होना चाहिये।

श्री टी० के० चौधरी: मालिक बचने का कोई न कोई मार्ग निकाल लेंगे। सवेतन वार्षिक छुट्टी के लिये २४० दिन की सेवा की व्यवस्था अधिक है। नकद लाभ जोड़ने के लिये पांच वयस्कों के परिवार को आदर्श परिवार समझना चाहिये और इस का और कोई सरल ढंग निकाला जाना चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि इस समय मिलने वाले लाभों से मज़दूरों को वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। छुट्टी प्राप्त करने के लिये सेवा के दिन २०० से अधिक नहीं रखने चाहियें। इस विधेयक की अधिकतर धारायें आपत्तिजनक है और केवल कुछ एक लाभकारी हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): हमें श्रम विधान के पुराने इतिहास का सिंहावलोकन करने की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक उत्पादन में, धन का भी भाग है, किन्तु श्रम का भाग प्रमुख है। यदि हम कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संतुलन लाना चाहते हैं, तो हमें औद्योगिक श्रम को आदर का स्थान देना होगा।

दु:ख की बात यह है कि सरकार मज़दूरों के प्रति इतनी सहानुभूति तो दिखाती है, किन्तु उनके लिये क्रियात्मक रूप में करती कुछ नहीं है। इस साहानुभूति प्रदर्शन मात्र से मजदूरों की समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं।

सरकार इसके उत्तर में कहेगी कि फ़ैक्टरी निरीक्षक फ़ैक्टरियों में जाकर वहां के मज़दूरों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर देखना यह है कि क्या ये निरीक्षक शोषक वर्ग से सम्बन्धित हैं या शोषित वर्ग से। यदि वे शोषक वग हैं, तो निश्चय ही वे अपने वर्ग वालों अर्थात् उद्योगपतियों के हितों का संरक्षण करेंगे और जो मज़दूरों के प्रति घातक सिद्ध होगा। दूसरी बात यह है कि क्या निरीक्षण के समय, मजदूर संघ का कोई प्रतिनिधि उनके साथ जाता है या नहीं। फैक्टरी अधिनियम में इ सक

उपबन्ध किया गया है। हमें यह विधान बनाना चाहिये कि निरीक्षक को सूचना दिये बिना कारखाने का निरीक्षण करने के लिये जाना चाहिये और उस क्षेत्र के मज़दूर संघ के किसी ऐसे प्रतिनिधि को अपने साथ ले जाना चाहिये, जिसे वहां के मज़दूरों की सभी कठिनाइयों का ज्ञान हो। इस प्रकार निरीक्षक को अपने कर्त्तव्य से विमुख हो कर मालिक के प्रति सहानुभूति प्रकट करने का अवसर नहीं मिलेगा ।

निरीक्षक के फ़ैक्टरी में जान पर, उसकी खूब आव भगत की जाती है, जिससे प्रभावित होकर वह मालिक के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रिपोर्ट देता है, और इससे मज़दूरों को हानि पहुंचती है। यदि निरीक्षक के साथ कोई प्रतिनिधि जाये, तो ऐसी बात नहीं हो सकती है।

काम के घंटों और पालियों के एक दूसरे के ऊपर छा जाने के मामले में, मुख्य निरीक्षक को छुट देने की अनुमति दी गई है। किन्तु ऐसा करते समय वहां काम करने वाले मज़दूरों की सलाह अवश्य ली जानी चाहिये, और यह सलाह मालिकों के सामने नहीं, बल्कि उन की अनुपस्थिति में ली जानी चाहिये। उस आदेश के विरुद्ध, यदि वह आदेश मज़दूरों के हितों के विरुद्ध है तो अपील करने का उपबन्ध भी होना चाहिये ।

धारा ३ में कई कमियां हैं। अधिनियम के खण्ड ४५ की ओर माननीय मंत्री ध्यान दें, जिसमें १५० व्यक्तियों के लिये प्राथमिक चिकित्सा बक्स के रखे जाने का उपबन्ध है और ५०० व्यक्तियों के लिये चिकित्सक या नर्सिंग कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहियें। यदि दो फ़ैक्टरियों में पचास पचास व्यक्ति काम करते हैं, तो उनके मालिकों को चिकित्सा बक्से रखने होंगे, किन्तु सम्भव है कि खर्च कम करने के लिये कई फ़ैक्टरियां मिल करके उनके लिये एक ही बक्स रखा जाये और जहां ५०० मज़दूर होंगे, वहां फ़ैक्टरी के टुकड़े करके केवल बक्स रख दिये जायेंगे, और चिकित्सक या नर्सिंग कर्मचारी नहीं रखे जायेंगे। मान लीजिये किसी महत्वपूर्ण फ़ैक्टरी में ६० व्यक्ति काम करते हैं, और वहां की गैस या वायु स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, तो वहां विशेष चिकित्सा का प्रबन्ध होना चाहिये। मैं तो इस गिनती या संख्या की सीमा को उचित नहीं समझता हूं।

नागदा स्टेशन के पास फ़ैक्टरी है जिससे ऐसी दुर्गन्ध उत्पन्न होती है कि वहां रहने वाले लोगों के लिये रहना कठिन हो गया है। उस का पानी चम्बल नदी में गिरता है, जिसके कारण, नदी में मछलियां समाप्त हो गई हैं। इस प्रकार की फ़ैक्टरियां निस्सन्देह, समाजोपयोगी वस्तुओं का निर्माण करती हैं, किन्तु इन पर विधान-द्वारा नियंत्रण किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इन सब मामलों पर ध्यानपूर्वक विचार करें।

श्री पुन्नूस ने बदली मज़दूरों की ओर संकेत किया है। ये बदली मज़दूर किसी स्थायी आधार पर नहीं रखे जाते हैं और न ही इनको किसी भी प्रकार की सुविधा या आराम दिया जाता है। सरकार की ओर से भी इनको कोई सहायता नहीं दी जाती है। सरकार को चाहिये कि इन को किसी स्थायी आधार पर रखने का प्रबन्ध करे।

हमें सब बातों को अपने संविधान के दृष्टिकोण से देखना चाहिये। संविधान में "न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक" की घोषणा की गई है। हम असमानता को हटाना चाहते हैं। इस घोषणा को आधार मान कर हमें श्रम विधान बनाने चाहियें। परन्तु सब कुछ इस के विपरीत होता है। इसीलिये मैंने न्यूनतम कार्यवाही और अधिकतम सहानुभूति

[श्री एस० एस० मोरे]

का उदाहरण दिया है। आज इस प्रगति के युग में, श्रम मंत्री इतने धीरे धीरे चलते हैं, जो वांछनीय नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि वह अन्तराष्ट्रीय श्रम संघ तथा इंगलिस्तान के अधिनियभ का अनुसरण करते हैं। किन्तु हमें उन का अनुसरण करने की क्या आवश्यकता है, जो इस देश को छोड़कर चले गये हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिये कि वे हमारा अनुसरण करें, और न कि हम उनका अनुसरण करें।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह (ज़िला गढ़वाल--पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर--उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो यह बात रखी गयी है कि औरतों से फ़ैक्टरीज़ में रात में काम नहीं लिया जायगा, यह बहुत उचित है और मैं इस चीज़ का स्वागत करती हूं। मंत्री महोदय तथा सब लोग जानते हैं कि हमारी औरतें इन स्थानों में कितनी अच्छी तरह और मेहनत से अपना काम करती हैं और मैं उनके लिये आपसे प्रार्थना करूंगी कि उन्हें हर तरह के सुभीते प्रदान किये जायं, जैसे कि उनके लिये दवाई का उचित प्रबन्ध हो और जब वे फ़ैक्टरीज़ में काम कर रही हों तो उनके बच्चों की उचित प्रकार से देखरेख का प्रबन्ध हो और बच्चों के लिये अलग बच्चा ग्रह बनाये जायं जहां पर बच्चे रक्खे जायं और उनकी निःशुल्क शिक्षा आदि का प्रबन्ध हो। आप यह भी मानेंगे कि औरतें मर्दों से अधिक काम करती हैं और कर सकती हैं मसलन् जहां चाय के बागीचों में जब चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो उसमें औरतें मर्दों की अपेक्षा अधिक पत्तियां तोड़ लेती हैं, मर्दों से दुगनी पत्तियां तोड़ लेती हैं, इससे यह बात सिद्ध होती है कि औरतें मर्दों की अपेक्षा कितना अधिक काम कर सकती हैं और करती हैं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि औरतों को मर्दों से अगर अधिक नहीं तो कम वेतन तो होना नहीं चाहिये और उनका वेतन कम से कम मर्दों के बराबर तो अवश्य ही होना चाहिये। आप जानते हैं कि औरतों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फ़ैक्टरीज़ में तो वह काम करती ही हैं, लेकिन घर लौटने पर अपने पति और बच्चों के लिये खाना पकाना आदि भी उन्हें ही करना पड़ता है क्योंकि मर्द तो जब काम से लौट कर घर आता है तो वह थका रहता है, लेकिन बेचारी औरत तो खाली नहीं बैठ सकती, उसे घर का काम काज़ देखना पड़ता है, इसलिये उनको कम से कम मर्दों के बराबर वेतन तो मिलना ही चाहिये। इसके अलावा यह भी प्रबन्ध होना चाहिये कि उनके जो बच्चे हों, उनके फ़ैक्रीज़ में काम करने के कारण उन बच्चों की पढ़ाई में कमी न आवे और उनकी पढ़ाई आदि की व्यवस्था में हर्जा न हो। दूसरे औरतों और बच्चों के वास्ते रिक्रयेशन खेलकूद वगैरह का भी समुचित प्रबन्ध अधिकारियों की तरफ़ से होना चाहिये क्योंकि अगर ये लोग काम करने के बाद खुली हवा में खेलेंगे नहीं तो उनका स्वास्थ्य जल्दी ही बिगड़ जायगा, इस कारण इस तरफ भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें और अगर ऐसा प्रबन्ध हो जायगा तो इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा और वह काम भी ज्यादा कर सकेंगे। बस इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना था। अब मैं और अधिक न कह कर अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : हालांकि खंड ८ के द्वारा माननीय मंत्री पुरानी धारा २९ का संशोधन कर रहे हैं किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में ध्यान देना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि मशीनों के पुर्ज़ों जैसे गीयर, चेन, रस्सी आदि का वर्ष में कम से कम एक बार तो परीक्षण होना ही चाहिये। किन्तु कुछ पुर्ज़े ऐसे भी हैं जिनका परीक्षण जल्दी जल्दी होना चाहिये। परीक्षण बड़ी साव-

धानी एवं सतर्कता से होना चाहिये। जब कोई पुर्ज़ा या उपकरण पुराना हो जाय तो उस समय बड़ी सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है।

क्रेन इत्यादि पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट दूरी निश्चित कर दी गई है कि वे सामान उठाने वाली रस्सी या चेन से २० फुट की दूरी पर रहें। यह एक उत्तम उपबन्ध है और श्रमिकों के हित में है।

एक बात यह भी कही गई है कि कोई क्रेन विशेष कितना सामान ले जा सकता है इसका प्रदर्शन वहां काम करने वाले कर्मचारियों के सम्मुख किया जाना चाहिये ताकि यदि कोई व्यक्ति उस क्रेन की क्षमता से अधिक माल उठाता है तो उसकी शिकायत उच्च पदाधिकारियों से की जा सके। मेरा विचार है है कि माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में विशेष ध्यान दिया है।

युवा स्त्रियों तथा लड़कों के रात की पाली में काम करने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक संशोधन है। ऐसे प्रतिबन्ध की आवश्यकता उन व्यक्तियों के लिए भी हैं जिनकी अवस्था अधिक है जैसे ५५ वर्ष या अधिक हो गई है। क्योंकि उनमें इतनी शक्ति, क्षमता, एवं सहनशक्ति नहीं रह जाती है कि वे रात्रि में भी कार्य कर सकें। अतः इसका ध्यान रखा जाना चाहिये कि ५० वर्ष की अवस्था हो जाने पर यदि चिकित्सक यह प्रमाणित कर दे कि अमुक व्यक्ति रात्रि में कार्य करने के लिए उपयुक्त है तब तो उससे कार्य लेना चाहिये, अन्यथा नहीं। यह मेरा दूसरा सुझाव है जिस पर माननीय मंत्री ध्यान दें।

श्री नम्बियार : श्री आर० वेंकटारमन का कहना है कि विधि के अनुसार तो रेलवे लोको शेड फ़ैक्टरी अधिनियम के आधीन आती नहीं हैं किन्तु व्यवहार में फ़ैक्टरी अधिनियम वहां लागू होता है। किन्तु ऐसा नहीं है; मैं कहता हूं कि (फ़ैक्टरी) अधिनियम कर्मचारियों को बहुत सी रियायतें एवं सुविधायें देता है और चूंकि फ़ैक्टरी अधिनियम यहां लागू नहीं होता है अतः यहां के कर्मचारी उन रियायतों एवं सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

नियत समय से अधिक कार्य करने का भत्ता उन्हें फ़ैक्टरी अधिनियम के नियमानुसार दूना नहीं दिया जाता है इसके बारे में स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है। फ़ैक्टरी अधिनियम में दी गई जलपान गृह, चिकित्सा तथा अन्य सुविधायें रेलवे कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं। लोको शेड में कर्मचारी १२ घंटे काम करते हैं। क्या फ़ैक्टरी अधिनियम के अधीन ऐसा हो सकता है? नहीं। अतः श्री वेंकटारमन की धारणा गलत है।

रेलवे लोको शेडों को जान बूझकर सन् १९४९ में फ़ैक्टरी अधिनियम के क्षेत्र से निकाल दिया गाया था ताकि वहां के कर्मचारी उन अधिकारों से वंचित रह जायं जो कि उन्हें पहिले प्राप्त थे। आज देश के कोने कोने से मांग की जा रही है कि लोको शेडों पर भी फ़ैक्टरी अधिनियम लागू किया जाय।

फ़ैक्टरी अधिनियम जिन कारखानों पर लागू होता है वहां भी केंटीन की व्यवस्था उचित नहीं है। उदाहरण के लिए गोल्डन राक वर्कशाप को ही ले लीजिये। वहां के केंटीन को चलाने से रेल प्रशासन ने हाथ खींच लिया है। उसका कहना है कि यह महंगा पड़ता है। रेलवे सरीखे बड़े बड़े मालिकों को तो विधि का सम्मान एवं इस प्रकार कार्य करना चाहिये जिससे कि वह दूसरों के लिये आदर्श बनें।

श्रम मंत्री को भी चाहिये कि वह इस बात को भली भांति देखें कि श्रम समन्धी विधानों

[श्री नम्बियार]

का पालन रेलवे में यथावत हो रहा है अथवा नहीं। रेलवे का नियंत्रण इस प्रकार होना चाहिये जिससे कि कर्मचारियों को श्रम विधानों का पूरा पूरा लाभ मिल सके।

बीड़ी उद्योग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है; और कर्मचारी आकस्मिक कर्मचारियों के रूप में कार्य करते हैं। उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय है। यह विधान उन पर लागू नहीं हो सकता है। कुछ बड़े बड़े उद्योगों जैसे "हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०" में कर्मचारियों को पूरी पूरी सुविधायें नहीं दी जाती हैं। कोलार सोना खदानों के कर्मचारियों की दशा भी बहुत बुरी है। वहां मज़दूरों को एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसे सिलीकोसिस कहते हैं। यह बहुत घातक रोग है और इस से बचना प्रायः असंभव है। मृत्यु हो जाने की दशा में मालिक सेवा काल के प्रत्येक वर्ष के लिये आधे महीने का वेतन उपदान के रूप में देते हैं, इस से मृत व्यक्ति के परिवार को ३००-४०० रुपये से अधिक नहीं मिल पाता है। अभी तक मालिकों ने इस रोग को रोकने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किये हैं। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री को इस का ज्ञान होगा। मैं नहीं जानता कि मज़दूरों की दशा सुधारने के लिये वह किस सीमा तक मालिकों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

यदि विधान के अनुसार लगातार छः घंटे तक काम करने की आज्ञा दे दी जाती है तो मालिक लोग कहेंगे कि सप्ताह में पूरे ४८ घंटे कार्य करो और उतना ही पैसा लो। वर्तमान स्थिति में ४७ घंटे काम करके ४८ घंटे का जो पैसा मिलता था अब वह सुविधा अर्थात् एक घंटा कम काम करने की सुविधा उनसे छिन जायगी। यदि नये विधान के अनुसार मालिकों को कोई सुविधा दी जाती हैं तो उसका पालन वे तुरंत ही करने लगते हैं और यदि इसके विपरीत कर्मचारियों को कोई सुविधा दी जाती है तो उसका पालन मालिकों की ओर से नहीं किया जाता है। अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि लगातार काम करने के घंटों की अवधि पांच घंटे की जानी चाहिये न कि ६ घंटे।

लगातार २४० दिन काम करने के उपरान्त कर्मचारी छुट्टी पाने का अधिकारी होता है। मेरा निवेदन है कि यह समय घटाकर ९० दिन कर दिया जाना चाहिये। मालिक वर्ग बहुत चालाक है और प्रत्येक विधान को धोखा देने के कोई न कोई रास्ते ढूंढ ही निकालता है। इसी कारण श्रमिकों में असन्तोष है। यदि विधान श्रमिकों के लिए लाभकारी नहीं होते हैं, तो वे कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह मालिकों को यह बताये कि यदि वे अनुचित व्यवहार करेंगे तो वह दंड के अपराधी होंगे। किन्तु होता इसके विपरीत है, कर्मचारियों से ही कहा जाता है कि अनुचित व्यवहार करने पर वे दोषी होंगे। मालिक कर्मचारियों की कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे कम से कम ऐसे संशोधनों को स्वीकार कर लें जो विधेयक में सुधार करते हैं तथा श्रमिकों को लाभ पहुंचाते हैं।

श्री वी० वी० गिरि : इस विधेयक पर विचार करने के लिए एक प्रवर समिति की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में श्री गुरुपादस्वामी ने एक संशोधन रखा था। मेरा कहना है कि इस विधेयक पर विचार करने

के लिए प्रवर समिति की नियुक्ति के प्रश्न पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं है । मैं ने बताया था कि बहुत शीघ्र ही एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करने का हम विचार कर रहे हैं ; और मैं आश्वासन देता हूं कि उस विधेयक पर खंड वार विचार करने के लिए एक प्रवर समिति की नियुक्ति की जायगी । इस विधेयक का उद्देश्य तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं की आवश्यकताओं के अधीन अपने क़रार का पंजीयन कराता है । इस स्थिति से लाभ उठाने के लिए हमने यह भी सोचा है कि लगे हाथ "लगातार सेवा" की भी परिभाषा कर दें ताकि किसी को इस सम्बन्ध में शक और सन्देह न रहे, इसलिये हमने २४० दिन का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में सदन को मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि ये परिवर्तन जो हमने किये हैं उनके बारे में श्रमिकों, मालिकों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से न केवल उनका मत ही ज्ञात किया है अपितु इनके बारे में चर्चा भी की है । अतः जो कुछ भी किया गया है उससे वे अवगत ही नहीं हैं अपितु उनको सभी कुछ मान्य भी है । इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद हमें अन्य लाभ भी होंगे क्योंकि उस नये विस्तृत विधेयक में उन सभी मतों एवं परामर्शों का समावेष हम कर सकेंगे जिनकी विशद विवेचना यहां हुई है । इस स्थिति में इस विधेयक की विभिन्न बातों पर विचार करने के लिए प्रवर समिति नियुक्त करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ।

जैसा कि श्री वेंकटारमन ने बताया है कि हमारा कारखाना सम्बन्धी विधान ब्रिटेन के विधान पर आधारित है जो काफी अच्छा प्रजातन्त्रीय विधान है । चूंकि यह ब्रिटेन के विधान पर आधारित है, इसीलिये हम किसी का अनुकरण करना नहीं चाहते हैं और न कुछ बातों को आंख मूंद कर मानना ही चाहते हैं । किन्तु उसमें जो कुछ भी अच्छाइयां हैं, या हमारे कर्मचारियों की दृष्टि से जो बातें भी लाभदायक हैं उन सभी बातों का अनुकरण हम सभी प्राप्य विधानों से करेंगे ।

मैं यह वचन देता हूं कि इन सुझावों को न केवल प्रस्तुत ही करूंगा अपितु भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष, जो कि प्रतिनिधियों की समिति है, इन बातों को उस विस्तृत विधेयक में संलग्न कराने का प्रयत्न करूंगा । भारतीय श्रम सम्मेलन को कर्मचारियों के तीन केन्द्रीय संगठनों, श्रमिकों के चार केन्द्रीय तथा राज्यीय संगठनों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है । द्विदलीय एवं त्रिदलीय समझौतों का मैं समर्थक हूं क्योंकि ये समझौते विभिन्न हितों के समर्थकों में उच्च स्तर पर बातचीत एवं विवाद होने के पश्चात् ही हुआ करते हैं । मुझे विश्वास है कि जो इन संगठनों के बारे में जानते हैं वे यह स्वीकार करेंगे कि इन समझौतों पर पहुंचने से पूर्व उद्योगों के नेता एवं मज़दूर संघों के गणमान्य नेता अपने अपने दृष्टिकोण एवं हितों को दृष्टिगत रखकर बातचीत कर लेते हैं । विनियोजन तथा छंटनी के सम्बन्ध में मालिकों या पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के उच्च स्तरीय नेताओं के बीच कुछ मूलभूत बातों के बारे में समझौता हो गया था । ठीक यही बात बागानों में काम करने वाले श्रमिकों एवं उस उद्योग की सभी बातों के बारे में, उनके उच्च स्तर के नेताओं के साथ उनकी विभिन्न बातों को लेकर हमारा उनसे समझौता हो गया है ।

इसी प्रकार सीमेन्ट उद्योग के मामले में भी हुआ । मैं ये उद्धरण केवल यह सिद्ध करने के लिये दे रहा हूं कि मेरे विचार से द्विदलीय एवं त्रिदलीय समझौते स्वयं

[श्री वी० वी० गिरि]

विधान से अधिक उपयोगी हैं। विधान को क्रियान्वित करने के लिये उसको क्रियान्वित करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। परन्तु आमतौर पर द्विदलीय एवं त्रिदलीय समझौतों के परिणाम नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा मामलों के सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए की गई विस्तृत चर्चाओं पर आधारित होते हैं, और इसलिये उनके निश्चय केवल बाध्य ही नहीं होते हैं बल्कि आमतौर पर उनका पालन भी होता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष नियोजकों एवं कर्मचारियों के उच्चतम नेताओं द्वारा किये गये ऐसे समझौतों को आदर की दृष्टि से देखते हैं।

अतः मैं यह नहीं चाहता कि इस सदन का कोई सदस्य यह कहे कि द्विदलीय एवं त्रिदलीय समझौते श्रम विधान की अपेक्षा कम प्रभावशाली होते हैं। कोई भी श्रम विधान अथवा सामाजिक विधान तब तक पूर्णरूपेण क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पीछे कोई शक्ति न हो। मैं ने पैंतीस वर्ष तक मज़दूर संघ के एक कार्यकर्त्ता के रूप में काम किया है, और मैं समझता हूं कि हम चाहे कितना ही अच्छा श्रम विधान क्यों न बना दें, परन्तु जब तक कि मज़दूर संघ सुदृढ़ एवं सुसंगठित न हो और उसके पीछे शक्ति न हो, तब तक वह विधान को क्रियान्वित नहीं करा सकता है। कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की कि जब कारखानों का कोई निरीक्षक किसी संस्था या उपक्रम में जाता है, तो वह मज़दूरों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाता है बल्कि न्यूनाधिक नियोजक की बातों पर चलता है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है; कम से कम मेरा ऐसा अनुभव नहीं है। यदि मज़दूर नेतागण एवं मज़दूर संगठन सतर्क रहें और यह पता लगा लें कि निरीक्षक कब आ रहा है या जब उन्हें कुछ शिकायतें हों, तो पहले ही से निरीक्षक के पास अभ्यावेदन भेज दें, तो जब भी निरीक्षक आयेगा, बिना पूर्व सूचना के आकस्मिक दौरे पर भी, वह मज़दूरों के प्रतिनिधियों को अपनी शिकायतें सामने रखने के लिये अवश्य बुलायेगा। जब मैं मद्रास में श्रम मंत्री था, तो मैं अपने कारखाना निरीक्षकों और श्रम निरीक्षकों को सदैव यह निदेश देता था कि जब भी कभी वे किसी स्थान पर जायें तो वे मज़दूर नेताओं से अवश्य मिलें, उनको इस बात की पूर्व सूचना दे दें कि वे अमुक स्थान पर जा रहे हैं और पहले ही से उस विशेष उपक्रम के विषय में सब बातें जान लें। मुझे पूरा विश्वास है कि विभिन्न राज्य इस सिद्धान्त का पालन कर रहे हैं और केन्द्र में आने पर भी मेरा अपने निरीक्षकों को यही निदेश रहा है। अत: मजदूर संघ संगठनों और उनके नेताओं को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, और मज़दूर संघों को सुदृढ़, सुसंगठित और अनुशासित रूप से चलने वाला होना चाहिये। तब वे इस श्रम विधान के काफी अंश को क्रियान्वित करा सकेंगे। अतः मैं अपने माननीय मित्रगण, मज़दूर नेताओं को, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, यह सलाह दूंगा कि वे इस बात में अधिक से अधिक दिलचस्पी लें कि श्रम विधान उचित रूप से क्रियान्वित हों।

जहां तक इस अधिनियम के नैमित्तिक श्रमिकों पर लागू होने का संबंध है, एक माननीय सदस्य का यह विचार था कि फ़ैक्टरी अधिनियम के लाभ उनको नहीं दिये गये हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि फ़ैक्टरी अधिनियम स्थायी अस्थायी अथवा नैमित्तिक श्रमिकों में कोई भेदभाव नहीं करता है। कारखाने में काम करने वाले सभी श्रेणी के श्रमिकों पर वह लागू होता

है । अतः इस संबंध में कोई ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिये । यह कहना पूर्ण रूपेण सही नहीं है, कि फ़ैक्टरी अधिनियम के लाभ नैमित्तिक श्रमिकों को प्राप्त नहीं होते हैं । इसकी कुछ चीज़ें उन पर लागू नहीं होती हैं ।

स्वाभाविक है, कि सदन के अधिकांश सदस्यों को यह फ़िक्र थी कि अधिनियम उचित रूप से लागू किया जाये और मैं उनकी इस आशा से सहमत हूं कि राज्यों, केन्द्र तथा राज्यों के श्रम मंत्रियों, मज़दूर संगठनों एवं नियोजकों के नेताओं की सहायता और सहयोग से यह अधिनियम उचित रूप से लागू होगा ।

जहां तक निरीक्षणालय का संबंध है, गत कुछ वर्षों में उसमें कर्मचारियों की संख्या दुगुनी हो गई है । मैं यह नहीं कहता कि यह पर्याप्त है । राज्य सरकारों को निरीक्षकों की संख्या बढ़ानी चाहिये और हमें भी ऐसा ही करना है । निश्चय ही मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा ।

जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है, जब भी कभी विशेष अध्ययन के लिये निरीक्षकों को अन्य देशों में भेजने का अवसर प्राप्त होता है, तो ऐसा किया जाता है और उनके अनुभव का लाभ उनके लौटने पर मालूम हो रहा है । जहां तक कारखानों के मुख्य सलाहकार का संबंध है, उसके कार्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और कल्याण के क्षेत्रों में हुई प्रगतियों के संबंध में नवीनतम सूचना देना है और इस तरह वह एक सामंजस्य स्थापित करने वाले निकाय के रूप में काम करता है । मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने सिलोकोसिस (एक प्रकार का फेफड़ों का क्षयरोग) की चर्चा की । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं । हम उसके विषय में केवल प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का उचित रूप से उपचार किया जाये । केवल कोलार की खानों में ही नहीं बल्कि अन्य खानों में भी ऐसे मामले होते हैं और हम इस मामले पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ।

मेरे कई माननीय मित्रों ने रेलवे श्रमिकों की चर्चा की । श्री गुरुपादस्वामी ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया था और उसके संबंध में मैं ने, श्रम मंत्री और एक मज़दूर संघ के कार्यकर्ता के नाते, रेलवे मंत्री से अपील की थी । वह रेलवे श्रमिकों संबंधी मामलों के प्रति बहुत सहानभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं और उन्होंने उनकी शिकायतों को सुना । वे मुझ से सहमत हो गये और उन्होंने उस पर उचित रूप से विचार करने को कहा । मैं ने श्री गुरुपादस्वामी और राज्य-परिषद के सभी पक्षों से उस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि इस मामले में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ और रेलवे बोर्ड के बीच कुछ समझौता हो गया है । मुझ को उसकी ठीक ठीक बातें नहीं मालूम है, परन्तु वह इस प्रकार है : 'भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ के साथ विचार विमर्श के बाद, यह तय हुआ है, कि रनिंग शेड में काम पर लगे हुए कर्मचारियों को महीने के औसत से अधिक सारे काम के घंटों के लिये साधारण दर की डेढ़ गुनी दर से निर्धारित समय से अधिक काम करने का भत्ता दिया जायेगा' उक्त संघ ने यह बात स्वीकार कर ली है और आदेश जारी कर दिये गये हैं । मैं इसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहता हूं, परन्तु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब भी मैं रेलवे कर्मचारियों के लिये कुछ कर सकूंगा, तो मैं उसे करूंगा । उक्त कार्य के लिये मैं माननीय रेलवे मंत्री का कृतज्ञ हूं ।

श्री वी० वी० गिरि]

मैं अपने मित्र श्री वेंकटारमन् को यह आश्वासन देता हूं कि नियमों को बनाते समय हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि उन में किसी धारा के ग़लत निर्वचन के कारण पैदा हो सकने वाली कमी या त्रुटि से श्रमिकों के हितों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखते हुए मैं विधेयक की धाराओं को ध्यानपूर्वक देखूंगा।

मेरे माननीय मित्र श्री अविनाशलिंगम् ने पूछा कि २४० दिनों का समय किस आधार पर निर्धारित किया गया है। वह इस प्रकार निर्धारित किया गया है : एक वर्ष में कुल ३६५ दिन होते हैं, इनमें से साप्ताहिक तथा अन्य छुट्टियां—अर्थात् ५२ रविवार, ८ उत्सव संबंधी छुट्टियां, ३० ऐसे दिन जिनमें मजूरी सहित छुट्टी जमा हो सकती है, ३५ दिन बीमारी या हड़तालों आदि के—जो कुल मिला कर १२५ होते हैं—निकाल दीजिये। इस प्रकार से २४० दिन निर्धारित हुए हैं।

कुछ माननीय मित्रों का कहना है कि इस विधेयक से उन श्रमिकों को हानि पहुंची है जिनकी काम की दशायें अभी तक अच्छी रही थीं—विशेषरूप से महिलाओं और बच्चों द्वारा रात को काम के मामले में। यह बात सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य होने के नाते हमें कुछ प्रचलनों को स्वीकार करना पड़ा था। इसका यह अर्थ नहीं है कि पहले उन्हें जो लाभ प्राप्त होते रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हुआ है। अब जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उससे वर्तमान धारा के उपबन्ध में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। केवल पालियों की बदली संबंधी प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अपेक्षाओं के अनुकूल निर्धारित करने का विचार है। सच तो यह है कि प्रस्तावित संशोधन दो घंटे के बीच के अवकाश की व्यवस्था करेगा। अतः मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों के पालन से बच्चों और महिलाओं को इस समय मिल रही सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

मैं और बारीकियों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यापक एवं विस्तृत विधेयक हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसे हम वास्तव में व्यापक बनायेंगे। इस चर्चा के दौरान में लाभकारी रूप से जो बातें और मामले उठाये गये हैं, हम उन सभी का ध्यान रखेंगे। वे बहुत उपयोगी होंगी और उन सभी पर विचार किया जायेगा। इन परिस्थितियों में मैं सदन से अपील करूंगा कि वह इस लाभकारी विधान को पारित कर दे, जो कि मजूरियों सहित छुट्टी के संबंध में विशेष रूप से बहुत उपयोगी है। इन शब्दों के साथ मैं अपना विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन इस पर खण्डवार विचार करेगा।

खण्ड २ से ९ तक विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड १०—(धारा ५४ का संशोधन)

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट ४, पंक्ति २० में "exceeded" ["अधिक"] के बाद "by one hour" ["एक घंटा"] जोड़ा जाये ।

मेरा सुझाव यह है कि 'पाली के बदलने' के बहाने काम के समय को बढ़ाने की शक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसका दुरुपयोग किया जा सके । अतः मैं समझता हूं कि इस संबंध में एक निश्चित समय का उल्लेख कर दिया जाये जो कि एक घंटे से अधिक न हो । मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मुख्य निरीक्षक सदैव इस बात को ध्यान में रखेगा और इस चीज का भी ध्यान रखेगा कि श्रमिकों के लाभ के विरुद्ध कोई भी काम न किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

खण्ड ११—(धारा ५५ का संशोधन)

श्री तुषार चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट ४, पंक्ति २७ में "for the reasons specified therein" ["उसमें बताये गये कारणों के लिये"] के स्थान पर "to enable workers to avail themselves of half holidays in full and to enable newspaper printing presses to work their entire night shift of six hours at a stretch" ["श्रमिकों को आधी छुट्टी को पूरी तरह से मनाने में समर्थ बनाने के लिये तथा समाचार-पत्र-मुद्रणालयों को छै घंटे की रात की पूरी पाली में एक साथ काम करने में समर्थ बनाने के लिये"] रखा जाये ।

मेरे संशोधन का लक्ष्य यह है कि इस बात का स्पष्ट निर्देश कर दिया जाना चाहिये जिससे श्रमिक शनिवारों को आधी छुट्टी पूरी तरह से मना सकें और प्रेस भी लगातार छै घंटे काम कर सकें अन्यथा मालिक इससे अनुचित लाभ उठायेंगे । यह बात व्याख्या टिप्पणियों में मानी भी गई है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री नम्बियार : यदि माननीय मंत्री उक्त संशोधन को ठीक उन्हीं शब्दों में न मानें तो कम से कम या तो श्री तुषार चटर्जी के सुझाव के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रयोजन निश्चित कर दिये जायें या अधिकतम समय अवधि छै घंटे से घटा कर पांच घंटे कर दी जाये । हमें डर है कि ऐसा न होने पर मालिक अनुचित लाभ उठायेंगे ।

श्री वी० वी० गिरि : प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है कि राज्य सरकार या उसके नियंत्रण में मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उसमें बताये गये कारणों से उपधारा (१) के उपबंधों से किसी कारखाने को मुक्त कर सकते हैं, फिर भी कोई श्रमिक बिना मध्यान्तर के लगातार छै घंटे से अधिक काम न करे । इसमें मुख्य निरीक्षक को कारण बताने पड़ेंगे और उसके विरुद्ध सरकार

[श्री वी० वी० गिरि]

तक अपील भी की जा सकेगी । अत: मैं इस का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि

"खण्ड ११ विधेयक का अंग बने ।"

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १३—(धारा ५९ का संशोधन)

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ट ४, पंक्ति ५० और ५१ में " two children below the age of fourteen years requiring in all three adult consumption units" ["चौदह वर्ष से कम आयु वाले दो बच्चे जिनके लिये कुल मिलाकर तीन वयस्क उपभोग एककों की आवश्यकता है"] के स्थान पर "three children below the age of twenty one years requiring in all five adult consumption units" ["इक्कीस वर्ष से कम आयु वाले तीन बच्चे जिन के लिये पांच वयस्क उपभोग एककों की आवश्यकता है"] रखा जाये ।

मैं कहना यह चाहता हूं । इतना तो श्री वेंकटारमन ने भी स्वीकार किया है कि एक परिवार के प्रौढ़ों की औसत संख्या जो मद्रास में निकाली गई थी ४.९ है । ·९ आंकड़े के दृष्टिकोण से ठीक है परन्तु व्यवहारिक कार्यों के लिये इस को पांच समझा जाना चाहिये ।

चौदह वर्ष के स्थान पर २१ वर्ष कर देना चाहिये क्योंकि बेकारी इतनी अधिक है कि मज़दूरों के बच्चे चौदह वर्ष से लेकर २१ वर्ष की आयु तक साधारणत: बेकार रहते हैं । इक्कीस वर्ष के बाद यदि वे बेकार भी होते हैं तो वे अपना सहारा स्वयं खोज लेते हैं ।

मजदूरों को इस बात की आज्ञा देनी चाहिये कि इस प्रकार के उनके तीन बच्चे हो सकते हैं । परन्तु इस में भय इस बात का अवश्य है कि इस प्रकार कुछ परिवार उस लाभ से वंचित हो जायेंगे जो वे अभी प्राप्त कर रहे हैं । इस के लिये हम यह निर्णय कर सकते हैं कि यदि अधिकतम मज़दूर के लिये लाभदायक है तो उसकी वह सुविधा दी जा सकती है । नहीं तो जैसी दशा अभी है वैसी ही बनी रहेगी । इस लिये माननीय मंत्री जिस रूप में चाहें इस संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि यह आंकड़े उन को कहां से प्राप्त हुए । यह तो सर्वविदित है कि कम वेतन पाने वालों के अधिक बच्चे होते हैं । अत: नियमित परिवार की परिभाषा पर फिर से विचार किया जाए तथा तथ्यों को मान्यता दी जाए ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलूरु) : कम से कम पांच एकाइयों के परिवार को स्वीकार किया जाये तथा बच्चों की संख्या दो से तीन कर दी जाये ।

श्री वी० वी० गिरि : यह सूत्र, उचित मज़दूरी विधेयक, १९५० में दी गई 'नियमित परिवार' की परिभाषा के आधार पर तय्यार किया गया था । सभी पक्षों ने बहुत वाद विवाद के बाद तै किया था कि यही उचित है । जब और अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तभी सभी मज़दूर संगठन अपने अपने विचार रख सकते हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ विधेयक मे जोड़ दिया गया।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १५—(धारा ६४ का संशोधन)

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(१) पृष्ठ ५ में—

(१) पंक्तियां २० तथा २१ हटा दी जायें ; तथा

(२) पंक्ति २२ में '(ख)' निकाल दिया जाये "

(२) पृष्ठ ५ में, पंक्ति ३२ के पश्चात् यह बढ़ा दिया जाये "provided that extra wages for overtime are paid calculating the entire period they are at the factory as working hours" ["परन्तु आवश्यक यह होगा कि उस कुल समय का हिसाब लगाकर जितना कि उन्होंने कारखाने में 'काम के घंटों' के रूप में बिताया है, उन को अतिरिक्त समय के लिये अतिरिक्त मजदूरी दी जाये"]

"(३) पृष्ठ ५ में पंक्तियां ४३-५० तक हटा दी जायें।"

भारत सरकार ने इस विधेयक में जो संशोधन करने का विचार किया है उस से वर्तमान अधिनियम के संचालन में जो शिथिलता उत्पन्न होगी उस से मालिकों को लाभ होगा तथा मजदूरों को हानि पहुंचेगी। इस बात का एक स्पष्ट उपबंध होना चाहिये कि अतिरिक्त समय के लिये अतिरिक्त मजदूरी देने में उस कुल समय का हिसाब लगाया जाये जितना कि वे कारखाने में काम के घंटों के रूप में बिताते हैं। पृष्ठ ५ के अन्त में जो परन्तुक है वह नितान्त अनावश्यक है तथा राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री तुषार चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५ में पंक्ति ५० के पश्चात बढ़ा दिया जाये—

"Provided further that work beyond ten hours put in by the worker in respect of such emergency carry-overs shall rank as part of his work for the succeeding day and that such work shall be paid at the rate not less than three times the ordinary rate or wages.

Provided further that the work in respect of such emergency carry-overs shall further be regulated by rules prescribed in that behalf."

["परन्तु यह और भी कि अगले दिन के लिये स्थागित किये गयें ऐसे आपातकालीन कार्य के सम्बंध में दस घंट के अतिरिक्त किया गया कार्य जो किसी

[श्री तुषार चटर्जी]

मज़दूर ने किया हो उसके अगले दिन के कार्य का एक भाग समझा जायेगा तथा ऐसे कार्य के लिये जो मज़दूरी दी जायेगी वह साधारण दर के तीन गुने से कम के हिसाब से न होगी"]

["परन्तु यह और भी कि अगले दिन के लिये स्थगित किया गया ऐसा आपातकालीन कार्य, इस सम्बंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियमित किया जायेगा"]

यदि कोई मज़दूर काम पर नहीं आता है तथा उसके पहले काम करने वाले मज़दूर से, जो निर्धारित समय के अनुसार अपने काम के घंटे पूरे कर चुका है, इस नाग़ा करने वाले मज़दूर का काम कराया जाता है तो इस काम को उसके आगामी दिवस के कार्य का एक भाग समझा जाना चाहिये तथा इस काम के लिये उसे जो मज़दूरी दी जाये उस की दर साधारण मज़दूरी की दर से तीन गुना होनी चाहिये ।

श्री वी० वी० गिरि : धारा ५९ के अनुसार नौ घंटे के दिन तथा ४८ घंटे के सप्ताह के हिसाब से जितने भी अतिरिक्त समय में काम लिया जाता है उसके लिये अतिरिक्त समय का वेतन दिया जाता है । कुछ ऐसे कारखाने हैं जिन में काम लगातार होता रहता है । कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मज़दूर अपनी पाली में नाग़ा कर देता है । ऐसी दशा में हो सकता है कि पिछली पाली वाले मज़दूर को अतिरिक्त कार्य करने के लिये दूसरी पाली में भी कार्य करना पड़े । संशोधक विधेयक में उसी का उपबंध किया गया है । अधिकांश देशों में अतिरिक्त समय के कार्य के लिये साधारण के सवाये के हिसाब से मज़दूरी दी जाती है जब कि भारत में इसी की दर दुगनी है । अतः इसमें किसी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । यह सुझाव भी मुझे मान्य नहीं है कि इस अतिरिक्त कार्य को अगले दिवस के कार्य का एक भाग समझा जाये ।

सभापति महोदय द्वारा श्री टी० के० चौधरी तथा श्री तुषार चटर्जी के संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'खंड १५ विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १६ तथा १७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १८—(धारा ७० का संशोधन)

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६ में, पंक्ति २०-२३ के स्थान पर यह रखा जाये—

"*Explanation* :—for the purpose of this subsection, 'Night' means 7 P.M to 6 A.M

["व्यवस्था—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ 'रात' का अर्थ होगा ७ म० प० से लेकर ६ म० पू० तक ।"]

कुछ बातों में भारतीय विधि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित प्रचलित प्रथाओं से भी आगे बढ़ा हुआ है । फिर समझ में नहीं आता कि कानून के वर्तमान उपबंधों के अनुसार जो सुविधायें मज़दूरों को गत

तीस वर्ष से प्राप्त हैं अब उनमें कौन सी कठिनाई आ गई है । इसलिये मैं चाहता हूं कि खंड १८ तथा १९ में प्रस्तावित व्याख्या के स्थान पर यह नई व्याख्या रखी जावे कि इस उपधारा के प्रयोजनार्थ 'रात' का अर्थ होगा ७ म० प० से लेकर ६ म० पू० तक । पहले भी कानून में यही उपबंध था तथा उसे बदलने का कोई कारण नहीं है ।

श्री वी० वी० गिरि : जो कुछ मैं कह चुका हूं उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'खंड १८ तथा १९ विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १८ तथा १९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २०—(परिच्छेद ८ के स्थान पर नये परिच्छेद का रखा जाना)

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ७, पंक्ति ६ में, शब्द "twenty" ["बीस"] के स्थान पर शब्द "eleven" ['ग्यारह'] रखा जाये ।

(२) पृष्ठ ७, पंक्ति ८ में, शब्द 'fifteen' ["पन्द्रह"] के स्थान पर शब्द 'seven' ["सात"] रखा जाये ।

(३) पृष्ठ ८, पंक्ति २ में, शब्द 'fifteen' ["पन्द्रह"] के स्थान पर शब्द 'seven' ["सात"] रखा जाये ।

माननीय मंत्री का कहना है कि प्रत्येक प्रौढ़ को गत वर्ष के काम के प्रत्येक २० दिन के पीछे एक दिन की छुट्टी दी जायेगी तथा इसी प्रकार बच्चे को १५ दिन के पीछे एक दिन की । मैं चाहता हूं कि प्रौढ़ को ग्यारह दिन के काम के पीछे एक दिन की छुट्टी दी जाये, इस प्रकार ग्यारह मास काम करने के पश्चात् वह एक मास की छुट्टी ले सकेगा । इस संबंध में रेलवे अधिक छुट्टियां देती है और मैं चाहता हूं कि मजदूरों के लिये जो क़ानून बनाये जायें वह ऐसे हों जैसे रेलवे के हैं । इसी प्रकार बच्चों को १५ दिन के काम के स्थान पर सात दिन के काम के पीछे एक दिन की छुट्टी दी जाये ।

दूसरी बात यह है कि छुट्टी के लिये १५ दिन पहले प्रार्थना पत्र देने का नियम बहुत कठोर है । वास्तव में इसके लिये सात दिन से अधिक की पाबंदी नहीं होनी चाहिये । मान लीजिये किसी को कोई आकस्मात वैसा कोई घरेलू कार्य हो या कोई न्यायालय इत्यादि का कार्य हो और मज़दूर उसके लिये छुट्टी लेना चाहता हो तो उसे यह सुविधा होनी चाहिये कि सात दिन के भीतर प्रार्थना पत्र देकर वह छुट्टी ले सकता है । अर्जित की हुई छुट्टी के संबंध में ऐसा तो होता नहीं है । न जाने किस आधार पर माननीय मंत्री ने यह १५ दिन का प्रतिबंध लगाया है । काम न बंद होने पाये इस के लिये भी यह आवश्यक नहीं है कि १५ दिन पहले सूचना दी जाये । मालिक सात दिन में भी इस की व्यवस्था कर सकता है । अतः मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति १० में "exclusive of any overtime and bonus but inclusive of" ["अतिरिक्त समय की मज़दूरी तथा बोनस को छोड़कर परन्तु......... के समेत"] शब्दों के स्थान पर "inclusive of overtime bonus" ["अतिरिक्त समय की मज़दूरी तथा बोनस समेत"] शब्द रखे जायें।

श्री टी० के० चौधरी : खण्ड २० के सम्बंध में मेरे तीन संशोधन हैं :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ७, पंक्ति २ में,

'240 days' ["२४० दिन"] शब्दों के स्थान पर '200 days' ["२०० दिन"] शब्द रखे जायें।

(२) पृष्ठ ७, पंक्ति १८ में, '240 days' ["२४० दिन"] शब्दों के स्थान पर '200 days' ["२०० दिन"] शब्द रखे जायें।

(३) पृष्ठ ६ तथा १० में,—— क्रमानुसार पंक्तियां ४७–४६ तक तथा १–४ तक हटा दी जायें।

प्रतिवर्ष मिलने वाली सवेतन छुट्टियों को अर्जित करने के लिये, वर्तमान विधेयक के अनुसार २४० दिवस के अनवरत कार्य का किया जाना पूर्व प्रतिबंध है। मैं चाहता हूं कि इसे घटाकर २०० दिन कर दिया जाये। अपने तीसरे संशोधन में मैं कहना चाहता हूं कि पृष्ठ ६ में पंक्तियां ४७–४६ तक हटा दी जायें।

अगले पृष्ठ पर मैंने १ से लेकर ४ तक की पंक्तियों को हटाने का प्रस्ताव किया है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को स्वविवेक का प्रयोग करके कुछ फ़ैक्टरियों आदि को मुक्त रखने का अधिकार दिया गया है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारों से अधिकार लिया जाना चाहिये क्योंकि हमें मालूम है कि इस दिशा में उनका काम संतोषजनक नहीं रहा है।

सभापति महोदय द्वारा उक्त संशोधन सदन के सामने रखे गए।

श्री तुषार चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७ की पंक्ति १२ में शब्द "orders" ["आदेशों"] के पश्चात शब्द "and the days covered by any legal strike" ["तथा किसी वैध हड़ताल में आने वाले दिन"] जोड़ दिये जायें।

२४० दिन गिनने के लिए वह दिन भी शामिल रखे गए हैं जबकि कमकरों को अस्थायी रूप से निकाल दिया गया हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस में वैध हड़ताल के दिन भी शामिल होने चाहियें क्योंकि कमकरों को अपनी वैध मांगें मनवाने के लिये हड़तालों की शरण लेनी पड़ती है। यदि इन दिनों को शामिल न रखा गया तो बहुत से कमकरों का नुक्सान होगा।

सभापति महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया।

श्री बी० एस० मूर्ति : विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत कमकरों को ३६५ दिन काम करने के बाद १८$\frac{1}{4}$ दिन की छुट्टियां मिलेंगी। मेरे विचार में ये छुट्टियां कम से कम ३० दिन की होनी चाहियें। उनकी वैध आकांक्षाएं पूर्ण की जानी चाहियें। ऐसा करना न केवल कमकरों के हित में है अपितु काम के हित में भी है।

दूसरी बात यह है कि दिन गिनते समय 'ओवर टाइम' को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

जहां तक नोटिस कालाविधि का सम्बंध है, यह कोई नया उपबन्ध नहीं । छुट्टी के लिये नियोजक को १५ दिन का नोटिस देने का उपबन्ध वर्त्तमान अधिनियम में मौजूद है । हम इसे कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि नियोजक को दूसरा कमकर ढूंढ़ने के लिये समय मिलना चाहिये।

सभापति महोदय द्वारा श्री नम्बियार के संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय द्वारा श्री टी० के० चौधरी के संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय द्वारा श्री तुषार चटर्जिया का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड २० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री वी० वी० गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री डी० सी० शर्मा : मैं माननीय मंत्री को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं; किन्तु मुझे उन से यह शिकायत है कि जब भी वह कोई नया विधेयक अथवा संशोधन विधेयक पेश करते हैं तो वह कहते हैं कि इस विषय पर एक अधिक व्यापक विधान प्रस्तुत किया जायगा । मैं उन से निवेदन करता हूं कि इस तरह के बेकार के वचन न देने चाहियें तथा जो विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं उन्हीं के द्वारा सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिये ।

मैंने इस विधेयक को भली भांति पढ़ा है, मैंने दोनों ओर से भाषण भी सुना तथा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस विधेयक में 'अधिकतम सद्भावना सहित अधिकतम कार्यवाही' के सिद्धांत का अनुसरण किया गया है । श्रम सम्बन्धी विधान तथा समाज कल्याण सम्बन्धी विधान में हमें इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिये, नहीं तो इससे झगड़े पैदा होने की आशंका है ।

मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धान्तों के आधार पर बनाया गया है । यह संस्था अब और भी व्यापक हो रही है क्योंकि इस में अब वह देश भी शामिल हो रहे हैं जोकि इस में पहले शामिल नहीं थे ।

यह एक सराहनीय बात है कि यह विधेयक केंद्र तथा राज्यों की पारस्परिक बातचीत के परिणामस्वरूप प्रस्तुत किया गया है । यह एक स्वस्थ तथा सुन्दर तरीका है। मुझे भरोसा है कि इस तरह के विधेयक से स्थिति में काफी सुधार आ सकता है ।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि निरीक्षक वर्ग शोषक वर्ग का काम करता है तथा वह मजदूरों की कठिनाइयों को नहीं समझता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें

[श्री डी० सी० शर्मा]

इस तरह का वर्गीकरण न करना चाहिये। वर्गभेद का झगड़ा यहां खड़ा न करना चाहिये। हम सब भारतीय हैं। यहां कोई शोषण आदि का प्रश्न नहीं।

श्री नम्बियार: क्या हम वर्गविहीन समाज की अवस्था पर आ पहुंचे हैं?

श्री डी० सी० शर्मा: हमारा समाज अन्य देशों के मुकाबले में काफ़ी वर्गविहीन है।

यह विधेयक नियोजकों तथा कमकरों तथा अन्य सम्बन्धित पक्षों की आपसी बातचीत के परिणामस्वरूप तैयार किया गया है। इस सिद्धान्त से देश का बहुत भला होगा।

इस विधेयक में कई ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे कि श्रमिकों का कल्याण होगा। स्त्रियों तथा तरुण व्यक्तियों को रात में काम पर लगाना निषिद्ध ठहराया गया है। यह एक प्रशंसनीय काम हुआ है।

कुछ लोगों का कहना है कि इस विषय में हमारी प्रवर्तन व्यवस्था ठीक नहीं है और वह कमज़ोर है। मेरा यह विचार है कि इसमें कमज़ोरी तो नहीं है परन्तु कुछ तेज़ी लाने की आवश्यकता जरूर है ताकि यह और अधिक ज़िम्मेदारी से काम कर सके। चुंकि माननीय मंत्री पहले से ही इस विषय में कदम उठा रहे हैं, इसलिये मुझे आशा है कि उनके प्रयत्नों से हम इस व्यवस्था को ठीक कर सकेंगे। फ़ैक्टरी इंसपेक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और फ़ैक्टरियों का डाक्टरी निरीक्षण भी लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। मुझे पता लगा है कि फ़ैक्टरी इंसपेक्टरों को और बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अन्य औद्योगिक देशों के अनुभव के आधार पर यहां भी फ़ैक्टरियों से संबंधित समस्याओं को हल रने के लिये प्रगति की जा रही है।

यह बड़े संतोष का विषय है कि जीविका विशेष के कारण उत्पन्न रोगों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है ताकि इन रोगों से बचने के लिये आवश्यक उपाय किये जा सकें। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस वैज्ञानिक जांच पड़ताल के क्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक बनाये ताकि इसमें सब प्रकार के फ़ैक्टरी मज़दूर आ जायें।

छुट्टी और मजूरी के लिये भी अब पहले से कहीं अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। जहां तक आदर्श परिवार का हिसाब लगाने का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसमें केवल आंकड़ों की दृष्टि से ही काम न करें बल्कि इसके लिये वह मानवी दृष्टिकोण भी अपनायें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधेयक हमारे देश के मज़दूरों के लिये बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। यह कहना गलत है कि हम संविधान में निहित उद्देश्यों का पालन नहीं कर रहे है; हरेक समझदार मज़दूर इस बात का अनुभव कर सकता है कि उसको अब पहले से कहीं अधिक सुविधाएं मिल रही हैं। और उसके आराम का अब पहले से ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। मेरा विश्वास है कि हम अपने यहां वर्गहीन समाज स्थापित करने के संबंध में बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): फ़ैक्टरी के कानूनों में सुधार करने वाले इस विधेयक का मैं समर्थन तो करता हूं परन्तु मेरी शिकायत यह है कि इस का क्षेत्र बहुत सीमित है; इसे और अधिक व्यापक होना चाहिये था। इस को इतना व्यापक नहीं बनाया गया है जितना हम चाहते थे; इसलिये यह विधेयक हमारी आशाओं को पूरा नहीं करता। हम जानते हैं कि जब तक हमारी सरकार अपने वर्तमान रूप को नहीं

बदलेगी तब तक इस प्रकार के कानूनों का क्षेत्र उतना नहीं हो सकता जितना कि उसे होना चाहिये ।

रेलवे रनिंग शेडों को 'फ़ैक्टरी' की परिभाषा में लाने के प्रश्न के सम्बन्ध में, मुझे माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि वह रेलवे मंत्री से इस विषय पर बात कर रहे हैं और वह आशा करते हैं कि रेलवे कर्मचारी फ़ेडरेशन से उन की जो बातचीत चल रही है उस का कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा । यद्यपि मुझे पूर्वोत्तर रेलवे के सियालदा डिवीज़न के कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी सुविधाओं के सिलसिले में अपने प्रश्न के बारे में माननीय रेलवे मंत्री के वक्तव्य का जो अनुभव है उस से इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां दिखाई देती हैं परन्तु फिर भी मैं आशा करता हूं कि रेलवे रनिंग शेडों को भी इस विधेयक के क्षेत्र में शामिल कर लिया जायेगा और वहां के कर्मचारियों को भी वही सुविधायें दी जाने लगेंगी जिन की इस विधेयक में व्यवस्था की जा रही है ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं माननीय मित्र को बता सकता हूं कि रेलवे मंत्रालय और रेलवे कर्मचारी फ़ेडरेशन में एक समझौता हो गया है ।

मैं चाहता था कि श्रम मंत्री हमें यह बताते कि अब तक फ़ैक्टरी सम्बन्धी कानूनों से किस तरह काम चलता रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि राज्यों ने इस विषय में जो रिपोर्टें दी हैं, वे पूरी नहीं हैं । हमें यह भी पता चला है कि सारे राज्यों में जो फ़ैक्टरी निरीक्षण विभाग हैं, उन में कर्मचारियों की बहुत कमी है जिस के कारण बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं । मुझे पता है कि माननीय मंत्री एक व्यापक विधेयक लाने का विचार कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री बहुत पुराने एवं अनुभवी मज़दूर संघवादी हैं । मज़दूरों के कल्याण के लिये उन्हों ने बहुत कुछ किया है परन्तु मुझे खेद है कि जिन बातों को वह तय करते हैं उन का मंत्रिमंडल द्वारा समर्थन नहीं होता । मैं नहीं जानता कि संयुक्त उत्तर-दायित्व की प्रणाली में इस तरह की बात कैसे हो रही है कि माननीय श्रम मंत्री जिन बातों का फ़ैसला करते हैं उन की फिर से जांच की जाती है और उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता । यही वजह है कि हम मंत्री महोदय के आश्वासनों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि हमारा अनुभव हमें यह बताता है कि सरकार की मज़दूरों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है ।

मुझे विश्वास है कि एक मज़दूर-संघवादी होने के नाते माननीय श्रम मंत्री पूंजीपतियों और मज़दूरों के बीच केवल समझौता कराने में ही विश्वास नहीं रखते और यही वजह है कि मज़दूरों के लिए क़ानून बनाने की अपेक्षा द्विदलीय या त्रिदलीय समझौतों को जो वह अच्छा समझते हैं उस से मैं सहमत नहीं । मैं मानता हूं कि ऐसे समझौतों से कोई नुक़सान नहीं परन्तु जब आप सरकार के अंग के रूप में काम करते हैं तो आप को मज़दूरों के सम्बन्ध में क़ानून बनाने चाहियें और ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिये जिस के द्वारा ये क़ानून ठीक प्रकार से क्रियान्वित किये जा सकें । आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार इन कानूनों को ठीक तरह से लागू नहीं कर रही क्योंकि वह पूंजीपतियों और पैसे वाले लोगों से डरती है । यह बड़े खेद की बात है कि हमारे यहां के मज़दूर अब भी ऐसी हालतों में रह रहे हैं जिन्हें बाहर के देशवासी कभी सोच भी नहीं सकते । यह हमारे देश की महानता के प्रतिकूल है कि हमारे यहां के लोग अब भी जानवरों की सी हालत में रहते हैं । जैसा माननीय मंत्री जानते हैं आजकल के मज़दूर एक नया समाज बनाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं जिस में वही लोग शासक हो सकेंगे जो कुछ कार्य करते हैं

[श्री वी० वी० गिरि]

और जो कुछ काम नहीं करते, उन्हें खाने का अधिकार नहीं होगा। हम इस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते हैं।

श्रम मंत्री तथा सरकार को ऐसी नीतियों का पालन करना चाहिये जिन से हमारी कार्मिक-श्रेणी में यह भावना उत्पन्न हो जाये कि वे उन धनी व्यक्तियों के लिये कार्य नहीं कर रहे हैं जिन का अप्रत्यक्ष रूप में सरकार पर अधिकार है, अपितु स्वयं अपने लिये तथा भावी पीढ़ियों के लिये एक उत्तम समाज निर्माण करने के लिये काम कर रहे हैं। हमें इस प्रकार की भावना उत्पन्न करनी है न कि उस प्रकार की सज्जनता जिस का विकास प्रत्यक्षत: पंजाब के माननीय सदस्य ने किया है।

इसी कारण मैं माननीय श्रम मंत्री से जिन का मैं अनुभवी मजदूर कार्यकर्ता के रूप में सम्मान करता हूं, यह कहता हूं कि उन्हें यहां और अब श्रेणी भेदभाव की समाप्ति के लिये जब तक उन में शक्ति है कार्य करते रहना चाहिये। उन्हें शोषण की जानकारी है। वह जानते हैं कि कष्ट है। उन्हें इन का सामना केवल द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय समझौतों से नहीं करना है, अपितु जीवन का एक ऐसा ढंग बना कर, एक ऐसी प्रणाली बनाकर करना है जिस में शोषण करने वालों तथा शोषित होने वालों के बीच का भेद पूर्णतया समाप्त हो जायेगा। केवल इसी स्वरूप में हम महत्वपूर्ण श्रम विधान का विचार कर सकते हैं तथा मैं श्रम मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस स्वरूप का ध्यान रखें।

राज्य परिषद के सन्देश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि मुझे राज्य परिषद् से अनर्हताओं का निरोध (संसद् तथा भाग ग राज्य-विधान मण्डल) संशोधन विधेयक, १९५४, की एक प्रति प्राप्त हुई है।

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्यविधान मंडल) संशोधन विधेयक

सचिव : मैं राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में, अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य-विधान-मण्डल) संशोधन विधेयक को सदन पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय : कल कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९५३, के पश्चात् यह विधेयक विचार विमर्श तथा पारित होने के लिये आदेश पत्र में रखा जायेगा।

इस के पश्चात् सभा, बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

GIPD—HS—117 PSD—21-10-54—265